छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष - 2025-26

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु ओसाका, जापान दौरा

भारत के प्रथम AI SEZ डाटा सेंटर का शिलान्यास कार्यक्रम, नवा रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2025-26

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन 2025-26

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय	
विभागीय मंत्री- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	माननीय श्री लखन लाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
सचिव (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग)	श्री रजत कुमार, IAS
सचिव (रेल परियोजनाएं)	श्री रजत कुमार, IAS
उप सचिव	सुश्री रेना जमील, IAS
उप सचिव	श्री उमेश कुमार पटेल
अवर सचिव	श्री मगन लाल पवार
निवेश आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली	
निवेश आयुक्त	श्रीमती ऋतु सैन, IAS
विभागाध्यक्ष	
उद्योग संचालनालय	श्री प्रभात मलिक, IAS, संचालक, उद्योग,
फर्म्स एवं संस्थाएं	श्रीमती पद्मिनी भोई साहू, IAS, पंजीयक
वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	श्री गुंजन शुक्ला, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र
विभाग के बोर्ड एवं निगम	
राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	अध्यक्ष - माननीय श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
	संयोजक- श्री रजत कुमार, IAS
छत्तीसगढ़ रेलवे कार्पोशन लिमिटेड	अध्यक्ष - श्री विकास शील, IAS
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अध्यक्ष- माननीय श्री राजीव अग्रवाल
	प्रबंध संचालक- श्री विश्वेश कुमार, IFS

क्र.	विषय सूची	पृष्ठ क्र.
1.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	01
2.	उद्योग संचालनालय	18
3.	पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं	26
4.	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	28
5.	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	31
6.	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	33
7.	निवेश आयुक्त कार्यालय	45
8.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (रेल परियोजनाएं प्रकोष्ठ)	46
9.	विभागीय बजट	50
10.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत विभागीय जानकारी	53
11.	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत् विभागीय जानकारी	54
12.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अंतर्गत विभिन्न घटकों/ निगम/बोर्ड का स्वीकृत सेटअप	
	परिशिष्ट- एक : उद्योग संचालनालय	57
	परिशिष्ट- दो : पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं	59
	परिशिष्ट- तीन : वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	60
	परिशिष्ट- चार : राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	61
	परिशिष्ट- पांच : छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	62

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
(Commerce & Industries Department)

1 विभाग के दायित्व

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के मुख्य दायित्व निम्नानुसार है–

(1) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

i. व्यापार और वाणिज्य।

ii. वस्तुओं का उत्पादन।

iii. एकस्व, आविष्कार, रूपांकन, प्रतिलिप्याधिकार, व्यापार चिन्ह तथा पण्य चिन्ह।

iv. शुल्क सीमांतों को पार करने वाले आयात और निर्यात।

v. महाजनी (बैंकिंग) कम्पनियों को छोड़कर अन्य कंपनियां।

vi. अनिर्गमित व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक तथा अन्य संस्थाएं और संघ।

vii. बीमा।

viii. वाष्पयंत्र।

ix. भण्डार।

x. विस्फोटक।

xi. डाक घर बचत बैंक।

xii. डाक तथा तार, बेतार तथा दूरभाष, जिसमें सरकारी दूरभाष (टेलीफोन) सम्मिलित नहीं हैं।

xiii. सीमा शुल्क, जिसमें निर्यात शुल्क सम्मिलित हैं।

xiv. विनिमय पत्र, चेक, वचन–पत्र और ऐसी ही अन्य लिखतें।

xv. उद्योगों की राज्य सहायता।

xvi. राज्य उद्योग तथा औद्योगिक सहकारी सोसायटियां। (ग्रामोद्योग से संबंधित औद्योगिक सहकारी सोसायटियों तथा सहकारिता विभाग की मद क्रमांक–2 को छोड़कर)

xvii. उद्योगों का विकास, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाएं तथा लघु उद्योग। (ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग को छोड़कर)

xviii. शासकीय केन्द्रीय कर्मशाला।

xix. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिपत्य, व्यापार, संघ तथा न्यास।

xx. *विलोपित।*

xxi. हड्डी, हड्डी के चूरे, खाद मिश्रण और हड्डी तथा हड्डी के चूरे से बने हुए सुपर फॉस्फेट पर नियंत्रण।

xxii. फर्नेस ऑयल।

xxiii. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध समस्त विषय जिनका विभाग से संबंध है (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ–नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन।

xxiv. रेल–इसमें नई रेलवे लाईनों के प्रस्ताव और इनका निर्माण शामिल हैं।

xxv. सेवा क्षेत्र।

xxvi. नीति–क्रियान्वयन तथा सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली–इन दोनों से संबंधित सामान्य पथ–प्रदर्शन रेखाओं के व्यवस्थापन से सम्बद्ध विषय

xxvii. निगमों के सर्वोपरि प्रबंधकीय पदों पर नियुक्तियां

xxviii. निगमों की सामान्य समस्याएं

xxix. प्रबंध पद्धतियों, प्रबंध प्रक्रियाओं, रिर्पोटिंग पद्धतियों का समन्वयन

(2) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम, नियम तथा भारत सरकार द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम जिसके तहत विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है :-

i. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006

ii. औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951

iii. छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973

iv. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

v. बॉयलर अधिनियम, 2025

vi. छत्तीसगढ़ उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम, 1959

vii. छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002

viii. छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम, 2004

ix. छत्तीसगढ़ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल नियम, 2017

x. छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002

xi. छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015

xii. छत्तीसगढ़ जनविश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2025

xiii. छत्तीसगढ़ जनविश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) अधिनियम, 2025

(3) विभाग में प्रचलित नीतियां :-

i. औद्योगिक विकास नीति 2024–30

ii. छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति–2025

iii. छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025–30

(4) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के लिये प्रशासित सेवा नियम -

i. छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1985

ii. छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा भर्ती नियम, 1987

iii. छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थाएं (तृतीय वर्ग) सेवा भर्ती नियम, 2006

iv. छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग (तृतीय वर्ग कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2007

v. छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग तृतीय श्रेणी (लिपिक एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2007

vi. छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (अराजपत्रित) सेवा तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2007

vii. छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थाएं (राजपत्रित), सेवा भर्ती नियम, 2007

viii. छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सेवा भर्ती नियम, 2011

ix. छत्तीसगढ़ वाष्पयंत्र निरीक्षकालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2012

x. छत्तीसगढ़ वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013

xi. छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थाएं (चतुर्थ वर्ग) सेवा भर्ती नियम, 2012

2. अधीनस्थ कार्यालय/निगम/बोर्ड :-

क्र.	कार्यालय का नाम	श्रेणी	पता
(1)	उद्योग संचालनालय	विभागाध्यक्ष	उद्योग भवन, रिंग रोड नंबर 1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
(2)	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	बोर्ड	उद्योग भवन, रिंग रोड नंबर 1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
(3)	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	निगम	उद्योग भवन, रिंग रोड नंबर 1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
(4)	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	विभागाध्यक्ष	उद्योग भवन, रिंग रोड नंबर 1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
(5)	पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं	विभागाध्यक्ष	इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़
(6)	छत्तीसगढ़ रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	रायपुरा, महादेवघाट रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़

3. विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी -

(1) उद्योगों की वर्गवार जानकारी :-

क्र.	विवरण	संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (करोड़ रुपये में)
i	स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (माह जनवरी, 2025 से दिसंबर, 2025 तक)	875	7,714	1,738.81
ii	वर्षांत तक राज्य गठन के पश्चात् कुल स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (1 नवम्बर, 2000 से दिसम्बर, 2025तक)	25,914	1,83,320	14,489.91
iii	स्थापित मध्यम–वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (माह जनवरी, 2025 से दिसंबर, 2025 तक)	76	8,056	6,950.18
iv	वर्षांत तक राज्य गठन के पश्चात कुल स्थापित मध्यम, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (1 नवम्बर 2000 से दिसम्बर 2025 तक) (उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त)	616	89,407	1,10,193.33

(2) अन्य विभागीय जानकारी :-

क्र.	विवरण	संख्या
i	उद्योग संचालनालय के अधीन स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या (राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर–चांपा, सरगुजा, कोरिया, जगदलपुर, जशपुर, सूरजपुर, कोण्डागांव, नारायणपुर)	25
ii	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या (रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद, कबीरधाम, सरगुजा, जांजगीर–चांपा, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, सूरजपुर, कांकेर, धमतरी, बलौदाबाजार–भाटापारा, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, मुंगेली, जशपुर, रायगढ़, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, सुकमा, बेमेतरा)	53
iii	स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क (a)–मेटल पार्क (फेस–1 एवं 2), रावांभाठा, जिला–रायपुर (b)–इंजीनियरिंग पार्क, भिलाई, जिला–दुर्ग (c)–फूड पार्क, ग्राम बंजारी–बगौद, जिला–धमतरी (d)–इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, नवा रायपुर, जिला–रायपुर (e)–प्लास्टिक पार्क, सरोरा, रायपुर, जिला–रायपुर	05
iv	राज्य में स्थापित वाष्पयंत्रों की संख्या	1,801
v	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन राज्य में पंजीकृत समितियों की संख्या	1,24,910
vi	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत् पंजीकृत फर्म संख्या	43,358
vii	छत्तीसगढ़ से निर्यात वर्ष 2025–26 (जनवरी, 2025 से नवंबर, 2025) (करोड़ रु. में)	15,390.52
viii	जनवरी, 2025 से दिसंबर, 2025 की अवधि में जारी इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट (100 करोड़ रु. तथा अधिक की परियोजना हेतु) परियोजना संख्या प्रस्तावित पूंजी निवेश (करोड़ रुपये में) प्रस्तावित रोजगार सृजन अभिस्वीकृति पत्र (100 करोड़ रु. से कम की परियोजना हेतु) परियोजना संख्या प्रस्तावित पूंजी निवेश (करोड़ रुपये में) प्रस्तावित रोजगार सृजन	 101 3,20,130.12 1,28,564 65 1,719.72 7,205

क्र.	विवरण	संख्या
	पूर्व निष्पादित एमओयू की स्थिति	
	प्रभावशील	180
	उत्पादन प्रारंभ	57
	निर्माणाधीन	31
	क्रियान्वयन प्रारंभ	72
	सृजित पूंजी निवेश (करोड़ रुपये में)	21,000
	सृजित रोजगार	22,000
ix	राज्य में रेलवे लाईन – (पूर्व स्थापित 1,186 रूट कि.मी. व नवीन 1,407 कि.मी.)	2,593
x	राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या –	26

4. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 :-

(1) औद्योगिक विकास नीति 2024–30 संपूर्ण राज्य में 01 नवंबर, 2024 से 31 मार्च, 2030 तक के लिये लागू है।

(2) नीति अंतर्गत जिलों के विकासखण्डों को तीन श्रेणियों यथा –समूह (एक), (दो) एवं (तीन) में विभाजित कर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की मात्रा का निर्धारण किया गया है। बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अधिकांश विकासखण्डों को समूह–तीन में वर्गीकृत किया गया है।

(3) नीति अंतर्गत पात्र उद्यमों को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, ब्याज अनुदान, नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, विद्युत शुल्क से छूट, स्टाम्प शुल्क से छूट, मंडी शुल्क से छूट, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान, दिव्यांग (निःशक्त), सेवानिवृत्त अग्निवीर व आत्मसमर्पित नक्सली व्यक्ति रोजगार अनुदान, इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान, जल एवं उर्जा दक्षता व्यय प्रतिपूर्ति, परिवहन अनुदान, भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत, एनएसई के साथ सूचीबद्धता पर प्रोत्साहन के रूप में व्यय प्रतिपूर्ति, एमएसएमई थ्रस्ट सेक्टर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर उद्यमों हेतु कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति इत्यादि प्रावधानित है।

(4) नीति अंतर्गत प्रथम बार 100 से अधिक रोजगार प्रदान करने वाली इकाईयों को अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 100 से 1000 तक रोजगार प्रदान करने पर 1.1 से 1.5 गुना तक अनुदान की पात्रता होगी।

(5) राज्य में निजी प्लग एंड प्ले अधोसंरचना/फ्लैटेड फैक्ट्री स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु अधोसंरचना लागत का 30 प्रतिशत अनुदान एवं अन्य अनुदान/छूट का प्रावधान किया गया है।

(6) नगरीय क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों से भिन्न विकासखण्ड मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि में क्षेत्र के प्रथम मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी–मॉल की स्थापना पर 30 प्रतिशत का अनुदान एवं अन्य अनुदान/छूट का प्रावधान किया गया है।

(7) सेवा क्षेत्र के उद्यमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नीति अंतर्गत लॉजिस्टिक सेवा सेक्टर, आईटी एवं आईटी इनेबल्ड सर्विसेस, इंजीनियरिंग सर्विसेस, रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट सेक्टर, पर्यटन मनोरंजन एवं अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर, बिजनेस सेवा केन्द्र, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सेवाएं को समावेशित किया गया है।

(8) नीति अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सली व्यक्ति एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति द्वारा स्थापित उद्यमों को सामान्य वर्ग की तुलना में अतिरिक्त औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

(9) नीति अंतर्गत पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं थ्रस्ट उद्यमों को निःशक्तों एवं राज्य के सेवानिवृत्त अग्निवीर व आत्मसमर्पित नक्सली व्यक्ति को स्थायी नौकरी प्रदान करने पर, उनके शुद्ध वेतन/पारिश्रमिक की 40 प्रतिशत अनुदान की राशि की अनुदान प्रतिपूर्ति, 5 वर्ष की अवधि तक अधिकतम रूपये पांच लाख वार्षिक की सीमा तक किया जाना प्रावधानित है।

(10) राज्य में वर्तमान आवश्यकताओं एवं राज्य में हो रही खपत की स्थिति को ध्यान में रखकर ''विशिष्ट उत्पाद उद्योग/सेक्टर यथा – फॉर्मास्युटिकल, टेक्सटाईल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद संरक्षण, एनटीएफपी उत्पाद प्रसंस्करण, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई), रोबोटिक्स एंड कम्प्यूटिंग (जीपीयू), आईटी एवं आईटीईएस, ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) एवं रक्षा, एयरोस्पेस एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी'' के लिए पृथक आकर्षक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की नीति को अपनाया जा रहा है, जिससे इन उत्पाद/उद्योग/सेक्टर विशेष के उद्यमों में निवेश को राज्य में आकर्षित किया जा सके। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि इन सेक्टरों में प्रथम पांच एंकर निवेशकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

(11) राज्य सरकार द्वारा राज्य हित में इस नीति के तहत् वृहद निवेश के लिये मंत्री मण्डलीय उप समिति का गठन किया गया है। इस समिति के द्वारा नीति में निर्धारित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के अतिरिक्त किसी विशेष उद्योग में होने वाले महत्वपूर्ण निवेश को ध्यान में रखते हुये विशेष निवेश प्रोत्साहन सुविधाओं को प्रदान किये जाने के बारे में प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय कर सकेगी। इस मंत्री मण्डलीय उप समिति में निम्नानुसार सदस्य हैं :–

क्र.	विभाग का नाम	पदनाम
(a)	माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़	अध्यक्ष
(b)	माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग	सदस्य
(c)	माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग	सदस्य
(d)	माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सदस्य
(e)	माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, अन्य विभाग यथा आवश्यकता	सदस्य (विशेष आमंत्रित)

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के भारसाधक सचिव इस उप समिति के संयोजक हैं।

(12) राज्य में स्थापित किंतु बंद, बीमार एवं अवरुद्ध निवेश उद्यम जिनकी परिसंपत्ति को किसी अन्य उद्यमी/फर्म/कंपनी द्वारा एन.सी.एल.टी. (National Company Law Tribunal), सरफेसी एक्ट, वित्तीय संस्थानों के द्वारा विभिन्न नियमों के तहत् अधिग्रहित कर लिये जाने के कारण अकार्यशील हो जाती है, ऐसे उद्यमों में निवेशित राशि के राज्य हित में सदुपयोग की दृष्टि से बंद, बीमार एवं अवरुद्ध निवेश उद्यम के पुर्नवास हेतु इस नीति में प्रावधानित पैकेज के माध्यम से पुर्नसंचालित, क्रियाशील किये जाने हेतु औद्योगिक विकास नीति 2024–30 अंतर्गत् अध्याय–(द–4) ''बंद एवं बीमार उद्यमों हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज'' का प्रावधान किया गया है।

5. छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति-2025 :-

राज्य को देश के एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने एवं राज्य के समग्र विकास के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति–2025 लागू की गई है। राज्य के जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स और मल्टीमोडल अवसंरचना का विकास, भण्डारण सुविधा में वृद्वि, निवेश में वृद्वि, निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नीति दिनांक 20.07.2025 से दिनांक 31.03.2030 तक की अवधि हेतु लागू है।

6. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 एवं छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति-2025 के अंतर्गत जारी अधिसूचनाएं एवं आदेश :-

क्र.	विषय	अधिसूचना/प्रशासकीय आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(1)	औद्योगिक विकास नीति 2024–30 की अधिसूचना	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–28/2024/11/6 दिनांक 04.11.2024
(2)	स्टाम्प शुल्क छूट प्रमाण पत्र	वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 10–40/2024/वा.क. पं./पांच (16), (17), (18), (19) दिनांक 14.02.2025
(3)	उद्यम आकांक्षा अभिस्वीकृति	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. GENS-1103/5/2025-COMM. &INDUS , दिनांक 14.02.2025
(4)	छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण–पत्र नियम, 2024	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. GENS-1103/4/2025-COMM.&INDUS, दिनांक 14.02.2025
(5)	राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान एवं प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम, 2024	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. GENS/32/2025-COMM.&INDUS, दिनांक 14.02.2025
(6)	छत्तीसगढ़ जल एवं ऊर्जा दक्षता व्यय प्रतिपूर्ति नियम, 2024	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. GENS-2101/1145/2025-COMM. & INDUS, दिनांक 25.04.2025

क्र.	विषय	अधिसूचना / प्रशासकीय आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(7)	छत्तीसगढ़ क्लिनिकल परीक्षण व्यय प्रतिपूर्ति नियम, 2024	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. GENS-2101/1158/2025-COMM. & INDUS., दिनांक 25.04.2025
(8)	छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति– 2025	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. PROJ/395/2025-O/O DS (C&I), दिनांक 20.07.2025
(9)	छत्तीसगढ़ स्थायी पूंजी निवेश प्रतिपूर्ति अनुदान नियम, 2024	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. GENS-2101/1167/2025-COMM.& INDUS दिनांक 19.08.2025
(10)	एस.एम.ई. स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्धता हेतु व्यय प्रतिपूर्ति नियम, 2024	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. GENS-1103/10/2025-COMM. & INDUS., दिनांक 29.05.2025
(11)	निर्यात हेतु प्रमाण–पत्र व्यय प्रतिपूर्ति अनुदान नियम, 2024	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. GENS-2101/206/2025-COMM.& INDUS, दिनांक 25.02.2025
(12)	छत्तीसगढ़ परिवहन अनुदान नियम, 2024	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. GENS-1105/21/2025-COMM. & INDUS., दिनांक 25.04.2025
(13)	छत्तीसगढ़ उद्योग रोजगार अनुदान नियम, 2024	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. RULE-5/5/2025/COMM.&INDUS., दिनांक 25.02.2025
(14)	छत्तीसगढ़ ब्याज अनुदान नियम, 2024	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. GENS-1105/1/2025-COMM. & INDUS., दिनांक 25.04.2025
(15)	छत्तीसगढ़ ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति नियम, 2024	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. GENS 1103/3/2025/ COMM.&INDUS, दिनांक 25.02.2025
(16)	औद्योगिक विकास नीति 2024–30 (संशोधन)	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. GEN-2101/1319/2025/COMM. & INDUS., दिनांक 27.05.2025
(17)	राज्य स्तरीय स्टार्टअप संवर्धन समिति का गठन	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. GENS-1105/5/2025-COMM.&INDUS, दिनांक 27.05.2025

क्र.	विषय	अधिसूचना / प्रशासकीय आदेश क्रमांक एवं दिनांक
(18)	विद्युत शुल्क से छूट	छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर अधिसूचना क्र. 1370 / एफ 21 / 11 / 2024 / 13 / 2, दिनांक 05.06.2025
(19)	छत्तीसगढ़ नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति अनुदान नियम, 2024	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. GENS-1103/9/2025-COMM. & INDUS., दिनांक 25.09.2025
(20)	छत्तीसगढ़ निजी औद्योगिक अधोसंरचना प्रोत्साहन नियम, 2025	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. GENS-2101/5114/2025-COMM.& INDUS. दिनांक 14.10.2025
(21)	छत्तीसगढ़ मिनी–मॉल निवेश प्रोत्साहन नियम, 2025	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. GENS-2101/5153/2025-COMM.& INDUS. दिनांक 14.10.2025
(22)	छत्तीसगढ़ निजी विद्यालय प्रोत्साहन नियम, 2025	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. GENS-2101/5121/2025-COMM.& INDUS. दिनांक 14.10.2025
(23)	छत्तीसगढ़ सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन नियम, 2025	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. GENS-2101/5159/2025-COMM.& INDUS. दिनांक 14.10.2025
(24)	छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स निवेश प्रोत्साहन नियम, 2025	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. PROJ/395/2025-O/O,DS,C&I दिनांक 03.11.2025

7. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (Ease of Doing Business)

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा EoDB के तहत् कराए जा रहे सुधारों के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य लगातार देश के शीर्ष राज्यों में शामिल रहा है।

Ease of Doing Business के तहत् उद्यमियों / निवेशकों के लिए आवश्यक सभी लाईसेंस / अनुमति / सम्मति आदि के आवेदन तथा निराकरण हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा सिंगल विण्डो सिस्टम विकसित की गई है तथा इन सेवाओं की ऑफलाईन प्रक्रिया को पूर्णतः बंद कर केवल ऑनलाईन माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। Ease of Doing Business के अन्तर्गत उद्योग

विभाग द्वारा लागू किये गये प्रमुख सुधार एवं अन्य विभागों से कराए गए प्रमुख सुधार निम्नानुसार हैं :–

(1) उद्योग संचालनालय एवं सी.एस.आई.डी.सी. लिमिटेड :-

i. "उद्यम आकांक्षा" ऑनलाईन, बिना किसी संलग्नक के एवं स्वप्रमाणन के आधार पर तुरंत जारी किये जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में एक लाख से अधिक उद्यम आकांक्षा जारी किये जा चुके हैं।

ii. उद्योग स्थापना एवं संचालन करने हेतु आवश्यक समस्त अनुज्ञप्तियां/अनुमति/ प्रमाण–पत्र आदि की जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। निवेशक अपने योजना के अनुसार लगने वाले अनुज्ञप्तियां/अनुमति/प्रमाण–पत्र आदि की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं।

iii. राज्य से संबंधित सभी अनुज्ञप्ति/अनुमति/प्रमाण पत्र आदि की जानकारी को भारत सरकार द्वारा विकसित National Single Window System (NSWS) में इंटीग्रेट किया गया है, जिसके माध्यम से देश तथा विदेश के निवेशक राज्य में उद्योग स्थापित करने के संबंध में समस्त आवश्यक जानकारी ऑनलाईन प्राप्त कर सकते हैं।

iv. सीएसआईडीसी द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आबंटन पूर्णतः ऑनलाईन माध्यम से किया जा रहा है।

v. प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों हेतु उपलब्ध भूमि GIS पद्धति के माध्यम से देखने की सुविधा प्रदान की गई है जिसका उपयोग करके कोई भी निवेशक पर्यावरण की दृष्टि से लाल, नारंगी, हरी या सफेद श्रेणी के उद्योगों हेतु उपलब्ध भूमि, आस–पास उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं जैसे कि सड़क, नाले, नहर, विद्युत आपूर्ति आदि की जानकारी GIS पर आधारित नक्शे में देख सकते हैं।

vi. औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक क्षेत्रों में जल कनेक्शन के लिये आवेदन की भी ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है।

vii. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित अनुदान, छूट एवं रियायतें औद्योगिक इकाईयों को ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से दी जा रही है।

(2) वाष्पयंत्र निरीक्षकालय :-

i. बॉयलर नवीनीकरण के लिये सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। कुल 90 बॉयलरों का नवीनीकरण सेल्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से किया जा चुका है।

ii. बॉयलर उत्पादनकर्ता के पंजीयन तथा नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है।

iii. बॉयलर निरीक्षण हेतु केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली विकसित की गई है।

iv. थर्ड पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरूआत की जा चुकी है।

(3) पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं :-

i साझेदारी फर्म्स एवं संस्थाओं के पंजीयन के लिये ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। कुल 48,724 आवेदनों का निराकरण ऑनलाईन किया जा चुका है।

ii. छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 से संबंधित आवेदनों का समय–सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है।

(4) वाणिज्य एवं उद्योग विभाग Ease of Doing Business के तहत् राज्य के समस्त विभागों द्वारा Single Window System के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले सेवाओं के सरलीकरण के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। उद्योग विभाग के Single Window System के माध्यम से विभिन्न विभागों की 130 सेवाओं को ऑनलाईन प्रदाय किया जा रहा है। Single Window System के माध्यम से इन सभी 130 सेवाओं हेतु आवेदन, दस्तावेज अपलोड करना, आवेदन राशि का भुगतान ऑनलाईन करना, आवेदन की स्थिति ज्ञात करना एवं स्वीकृत प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति/पंजीयन आदि ऑनलाईन डाउनलोड करने की सुविधा प्रदाय की गई है। सूचना की सुलभता एवं पारदर्शिता हेतु विभाग की एकल खिड़की प्रणाली में पब्लिक डोमेन में प्रकरणों के निराकरण की स्थिति प्रदर्शित की जा रही है, जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

8. पीएम गति शक्ति :-

पीएम गति शक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है, जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य के विभिन्न विभागों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ती है। इसका उद्देश्य ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस, ईज़ ऑफ़ लिविंग में सुधार करना, मल्टीमोडल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना तथा परियोजनाओं का न्यूनतम अपव्यय व मितव्ययिता के साथ शीघ्रता से क्रियान्वयन करना है। उक्त उदेश्य की पूर्ति हेतु BISAG (Bhaskaracharya Institute of Space Applications and Geo Informatics) द्वारा ISRO imagery का उपयोग करते हुए एक राज्य स्तरीय पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें मंत्रालयों और राज्य के विभागों की विभिन्न जानकारियाँ GIS (Geographic Information System) के रूप में प्रदर्शित होती है।

भारत शासन द्वारा निर्धारित कुल 30 लेयर्स में से 27 लेयर्स छत्तीसगढ़ राज्य हेतु लागू हैं, जिनमें से दिसंबर, 2025 तक कुल 21 लेयर्स पूर्णतः पीएम गति शक्ति एसएमपी पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं तथा 06 लेयर्स आंशिक रूप से अपलोड किये गये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा 530 से अधिक अतिरिक्त लेयर्स को चिन्हांकित किया है, जिसके अपलोड किये जाने की प्रक्रिया निरन्तर जारी है। CG-SMP पोर्टल पर कुल 28 टूल्स विकसित किये जा चुके हैं, जिससे

प्रस्तावित रेल–सड़क परियोजनाओं के आस–पास उपयोगी भूमि चिन्हांकन में सहायता प्राप्त हो सकेगी।

9. पीएमजी पोर्टल :-

पीएमजी भारत में 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ सार्वजनिक, निजी और पीपीपी परियोजनाओं में मुद्दों और नियामक बाधाओं के त्वरित समाधान के लिए एक संस्थागत निगरानी तंत्र है। 500 करोड़ रुपये से कम की परियोजनाओं की समीक्षा केस–टू–केस आधार पर की जाती है।

बड़े पैमाने की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, दक्षता और तेजी लाने के उद्देश्य से, पीएमजी आवश्यकतानुसार राज्य और केंद्रीय मंत्रालय स्तर पर नेतृत्व के साथ काम करता है। इसके अतिरिक्त, पीएमजी सभी हितधारकों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के साथ–साथ परियोजनाओं की वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम करने के लिए अपने विशेष पोर्टल का लाभ उठाता है।

मूल रूप से 2013 में कैबिनेट सचिवालय के तहत् स्थापित, पीएमजी को बाद में 2015 में प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) के तहत् स्थानांतरित कर दिया गया था और बाद में 2019 में निर्बाध निवेशक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पीएमजी को इन्वेस्ट इंडिया, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के साथ विलय कर दिया गया था। यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर परियोजना से संबंधित मुद्दों की पहचान, ट्रैकिंग और समाधान के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

छत्तीसगढ़ में वाणिज्य और उद्योग विभाग पीएमजी के लिए नोडल विभाग है। वाणिज्य और उद्योग विभाग त्वरित समस्या समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, राज्य विभागों और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।

10. छत्तीसगढ़ जनविश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2025 :-

(1) ईज़ ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस के लिए विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने हेतु एवं अपराधों के अपराधमुक्तकरण और तर्कसंगतिकरण के लिए कतिपय अधिनियमितियों में संशोधन करने हेतु छत्तीसगढ़ जन विश्वास अधिनियम पारित करने वाला देश का द्वितीय राज्य है। छत्तीसगढ़ जनविश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2025 छत्तीसगढ़ विधान सभा के जुलाई, 2025 सत्र में पारित हुआ एवं माननीय राज्यपाल के अनुमोदन से दिनांक 21 अगस्त, 2025 को अधिसूचित किया गया। अधिनियम के अंतर्गत 07 विभागों जैसे नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, सहकारिता विभाग, वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग, श्रम विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग

विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग, गृह विभाग के 08 अधिनियमों के कुल 163 प्रावधानों में संशोधन किया गया। इनमें जुर्मानों को शास्ति में परिवर्तित करने के 137 प्रावधान, कारावास की धाराओं को शास्ति में बदलने के 14 प्रावधान तथा अपराधों के शमन की व्यवस्था संबंधी 12 प्रावधान शामिल हैं।

(2) इसी अनुक्रम में छत्तीसगढ़ जनविश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 छत्तीसगढ़ विधान सभा के नवंबर–दिसंबर, 2025 सत्र में पारित किया गया है। इसमें 11 विभागों द्वारा संचालित 14 अधिनियमों के 119 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसका अधिनियम के रूप में प्रकाशन दिनांक 01.01.2026 को हुआ है।

11. बिज़नेस रिफ़ॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) :-

बिज़नेस रिफ़ॉर्म ऐक्शन प्लान (BRAP) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका क्रियान्वयन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समन्वित विनियामक और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को सुदृढ़ करना है। छत्तीसगढ़ राज्य में इन सुधारों के क्रियान्वयन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। BRAP 2024 के मूल्यांकन में छत्तीसगढ़ सेवा क्षेत्र, श्रम विनियमन, निर्माण अनुमति तथा भूमि प्रबंधन–इन चार सुधार क्षेत्रों में 'टॉप अचीवर्स' श्रेणी में सम्मिलित किया गया। BRAP 2024 के अंतर्गत कुल 434 सुधार शामिल थे, जिनमें 342 BRAP सुधार तथा 92 राज्य–स्तरीय 'Reducing Compliance Burden (RCB)' सुधार सम्मिलित थे। इनमें से 417 सुधारों के क्रियान्वयन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 में नियमन शिथिलीकरण तथा अनुपालन न्यूनीकरण से संबंधित सुधार लागू किए गए। राज्य में डीरेग्युलेशन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग नोडल है। सुधार पहल के प्रथम चरण के अंतर्गत 23 प्राथमिक क्षेत्र एवं 71 उप–प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। डीरेग्युलेशन में राज्य को 'मूविंग फ़ॉरवर्ड' श्रेणी में 8वाँ स्थान प्राप्त हुआ, जहाँ 23 में से 20 प्राथमिक क्षेत्रों को क्रियान्वित किया गया, जबकि शेष तीन प्राथमिक क्षेत्र प्रक्रियाधीन है।

(1) "वन-क्लिक" राज्य सिंगल विंडो सिस्टम :-

यह एक व्यापक, निवेशक–अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य व्यवसायों हेतु वैधानिक अनुमोदनों एवं स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित बनाना है। यह निवेशकों और विभिन्न विभागों के बीच एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में 130 सेवाएं सिंगल विंडो के माध्यम से प्रदान की जा रही है। नवीन सिंगल विंडो सिस्टम की विशेषताएं निम्नानुसार हैं –

i. पैन–आधारित पंजीयन – राज्य सिंगल विण्डो सिस्टम में पैन से संबद्ध एकल एवं सुरक्षित डिजिटल पहचान की शुरुआत की गई है, जिससे बार–बार पंजीकरण की आवश्यकता समाप्त हुई है।

ii. राष्ट्रीय सिंगल विण्डो सिस्टम (NSWS) के साथ द्वि–दिशात्मक एकीकरण (2 Way integration)– राज्य की सिंगल विण्डो सिस्टम 'वन–क्लिक पोर्टल' को NSWS के साथ एकीकृत किया गया है। NSWS पोर्टल पर आवेदन किए जाने पर केंद्रीय स्वीकृतियाँ संबंधित केंद्रीय विभागीय पोर्टल को तथा राज्य स्तरीय स्वीकृतियाँ आगे की प्रक्रिया हेतु वन–क्लिक पोर्टल को प्रेषित होती हैं।

iii. 'नो योर अप्रूवल्स' – सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों के लिए क्षेत्रवार अनुमोदन आवश्यकताओं को मार्गदर्शिका के रूप में तैयार किया गया है।

iv. यूज़र फीडबैक – वन–क्लिक पोर्टल पर अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात उपयोगकर्ताओं से लाइकर्ट स्केल एवं टिप्पणी बॉक्स के माध्यम से फीडबैक प्राप्त किया जाता है।

(2) पंजीकरण समय-सीमा में कमी - फर्म पंजीकरण की सेवा अवधि 15 दिन से घटाकर 7 दिन तथा सोसायटी पंजीकरण की अवधि 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है।

(3) GIS आधारित भूमि आबंटन प्रणाली राज्य में औद्योगिक भूमि की उपलब्धता की समग्र जानकारी प्रदान करने हेतु GIS सक्षम प्लेटफ़ॉर्म लागू किया गया है, जिसे इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (IILB) से जोड़ा गया है।

(4) औद्योगिक भूमि का त्वरित आबंटन - औद्योगिक क्षेत्रों एवं भूमि बैंकों में भूमि आबंटन की समय–सीमा 90 दिन से घटाकर 45 दिन कर दी गई है।

(5) उद्योग विभाग के बाहर स्थित शासकीय भूमि का औद्योगिक उपयोग हेतु आबंटन - उद्योग विभाग के अधीन न होने वाली शासकीय भूमि को औद्योगिक प्रयोजनों हेतु आबंटित करने के लिए सरलीकृत डिजिटल तंत्र लागू किया गया है।

12. छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 :-

राज्य शासन के समस्त विभागों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री उचित दरों पर निश्चित समयावधि में उपलब्ध हो सके एवं स्थानीय लघु उद्योगों को विपणन हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हो सके, इस हेतु विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 में यथा आवश्यक संशोधन किये गये हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त शासकीय क्रय हेतु ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं जिनकी दरें एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट (GeM – Government e-Marketplace) में उपलब्ध है, जेम वेबसाईट से क्रय किया जाना अनिवार्य किया गया है। क्रय में

पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु निविदा की शर्तों में कोई ऐसी अतिरिक्त शर्त नहीं जोड़े जा सकेंगे जो इन नियमों के प्रावधानों के परे, प्रतिस्पर्धा को सीमित करते हों। स्टार्ट–अप और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूर्व अनुभव और टर्न–ओवर से छूट की शर्त जोड़ी जा सकेगी साथ ही इन्हें अमानत राशि (ईएमडी) जमा करने से छूट के प्रावधान किये गये हैं।

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 के अनुसार भारत सरकार की संस्था जेम (GeM – Government e–Marketplace) एवं राज्य शासन के मध्य निष्पादित एम.ओ.यू. के अंतर्गत, राज्य शासन के विभागों द्वारा क्रय जेम (GeM – Government e–Marketplace) के माध्यम से किया जा रहा है। जेम पोर्टल के संस्करण 2.0 एवं 3.0 से शासकीय खरीदी की अद्यतन प्रगति निम्नानुसार है:–

(05.01.2026 की स्थिति में)

जेम पोर्टल में पंजीयन	
(1) प्रायमरी यूज़र (शासकीय विभाग/उपक्रम की संख्या)	9,243
(2) सेकेंडरी यूज़र (शासकीय विभाग/उपक्रम की संख्या)	4,731
(3) विक्रेताओं (एमएसएमई एवं सामान्य इकाईयों की संख्या)	19,525

जेम पोर्टल में प्रशिक्षण	
(1) क्रयकर्ता विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की संख्या	101
(2) विक्रेता/प्रतिनिधि (एमएसएमई एवं सामान्य इकाईयों की संख्या)	19,525

विभागों द्वारा क्रय की जानकारी	
(1) क्रय किये गये कार्यालयों की संख्या	838
(2) विभागों/उपक्रमों द्वारा कुल क्रय की गई राशि	6,000.00 करोड़ रु.
(3) राज्य की श्रेणी	6वीं रैंक

उद्योग संचालनालय (Directorate of Industries)

1. सामान्य जानकारी :-

उद्योग संचालनालय उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर में स्थापित एवं कार्यरत है। विभागाध्यक्ष संचालक/आयुक्त स्तर के अधिकारी होते हैं तथा इसके अंतर्गत राज्य के समस्त 33 जिलों में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र स्थापित एवं कार्यरत हैं। 06 जिलों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, बस्तर एवं रायगढ़ में मुख्य महाप्रबंधक एवं शेष 27 जिलों में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय प्रमुख हैं। संचालनालय एवं इसके मैदानी कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों की पद संरचना परिशिष्ट–एक पर दर्शित है।

राज्य शासन की प्रचलित औद्योगिक विकास नीति 2024–30 का क्रियान्वयन ''उद्योग संचालनालय'', ''छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड'', ''राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड'' एवं ''जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों'' के माध्यम से होता है। शासन के विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों तथा औद्योगिक जगत के बीच सतत् समन्वय, सुझावों के आदान–प्रदान से औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए प्रदेश की औद्योगिक स्थिति को सुदृढ़ करने में योगदान दिया जा रहा है।

2. औद्योगिक विकास से संबंधित उपलब्धियां :-

(1) प्रस्तावित पूंजी निवेश एवं रोजगार सृजन की स्थिति :-

दिसम्बर, 2025 की स्थिति में निवेशकों से प्राप्त प्रस्तावों पर कुल 130 निवेशकों को इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट पत्र जारी किए गए हैं। इन निवेश प्रस्तावों में 3,66,566.94 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश तथा 1,45,762 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत कोर सेक्टर के अतिरिक्त सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, टेक्सटाईल, फार्मास्युटिकल, फूड प्रोसेसिंग, पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट, हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट, सोलर सेल मेन्युफैक्चरिंग तथा सेवा क्षेत्र अंतर्गत होटल एंड रिसॉर्ट, वेलनेस सेंटर, हॉस्पिटल, आईटी एवं आईटीईएस आदि के प्रस्ताव सम्मिलित हैं।

(2) वर्ष 2025-26 (जनवरी, 2025 से दिसंबर, 2025 तक) में औद्योगिक इकाइयों को प्रदाय/वितरित की गयी अनुदान, छूट, रियायतें एवं सेवाओं की स्थिति :-

क्र.	विवरण	इकाईयों की संख्या	राशि (लाख रु. में)
i.	ब्याज अनुदान	1,753	9,693.06
ii.	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	1,431	62,467.2

क्र.	विवरण	इकाईयों की संख्या	राशि (लाख रु में)
iii.	मार्जिन मनी अनुदान	19	698.89
iv.	स्टाम्प शुल्क भुगतान से छूट प्रमाण/पत्र	1,081	--
v.	विद्युत शुल्क से छूट हेतु अनुशंसा पत्र	104	--
vi.	प्राथमिकता उद्योग मान्यता प्रमाण पत्र	111	--
vii.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी (ऑनलाईन)	951	--
viii.	मण्डी शुल्क से छूट	18	436.43
ix.	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान	93	154.19
x.	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान	2	5.84
xi.	स्टार्टअप इकाईयों को ब्याज अनुदान	3	59.58
xii.	परिवहन अनुदान	1	16.43
xiii.	औद्योगिक नीति अंतर्गत विशेष निवेश प्रोत्साहन राशि	1	90.42

(3) सेमीनार/वर्कशॉप/संगोष्ठियों का आयोजन :-

शासन की विभिन्न स्व–रोजगार मूलक योजनाएं जैसे–प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का प्रचार प्रसार एवं उद्योग स्थापना हेतु राज्य में लागू ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के अंतर्गत राज्य में विभिन्न जिलों के विकासखण्ड स्तर पर सेमीनार/कार्यशाला/संगोष्ठी एवं रोजगार मेला का आयोजन किया गया।

नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024–30 अंतर्गत राज्य में निवेश आकर्षित करने हेतु विदेशों में जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी एवं देश में नई दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद, बेंगलुरु तथा राज्य में रायपुर एवं बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

(4) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन :-

भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। यह अधिनियम 02 अक्टूबर, 2006 से प्रभावशील है। इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2020 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषाएं संशोधित की गयी हैं जिसके अनुसार इन उद्यमों में सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्यमों हेतु यंत्र एवं संयंत्र में निवेश सीमा क्रमशः 01

करोड़, 10 करोड़ एवं 50 करोड़ तक तथा टर्न ओवर क्रमशः 5 करोड़, 50 करोड़ एवं 250 करोड़ तक निर्धारित की गयी है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 भारत सरकार द्वारा जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 01.06.2020 में परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 2024–30 में मान्य किया गया है। औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए इकाई के स्तर के निर्धारण के लिए केवल संयंत्र और मशीनरी एवं उपस्कर में निवेश राशि के आधार पर गणना की जावेगी।

राज्य शासन ने औद्योगिक नीति व अन्य नीतियों में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित अभिलेख ई.एम. पार्ट–1 के स्थान पर राज्य में ''उद्यम आकांक्षा'' (Udyam Aakansha) दाखिल करने की ऑनलाईन व्यवस्था दिनांक 18.09.2016 से प्रभावशील है। वर्तमान में इसकी वैधता 5 वर्ष हेतु की गयी है।

(5) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल (MSEFC) गठन एवं क्रियान्वयन :-

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं/सामग्रियों की आपूर्ति के पश्चात् क्रेताओं द्वारा समय पर भुगतान न करने अथवा भुगतान संबंधित विवादों के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–10/2007/11/(6), दिनांक 09.09.2024 के तहत् नवीन दो वर्षीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल का गठन किया गया है। काउंसिल के अध्यक्ष संचालक उद्योग तथा 4 अन्य वित्त एवं आर्थिक क्रियाकलापों के विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। विवादों के निराकरण की प्रक्रिया सतत रूप से निरंतर चलती रहती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में (नवंबर 2025 तक) कुल 46 आवेदनों का पंजीयन किया गया है एवं उक्त अवधि में पूर्व के प्रकरणों सहित कुल 102 प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही कर राशि 9.80 करोड़ रुपये भुगतान का सेटलमेंट किया गया है। एमएसईएफसी के कार्यों में ओडीआर (ऑनलाईन डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन) के सफल संचालन हेतु सूक्ष्म, लघ्यु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ एमएसईएफसी काउंसिल को प्रोत्साहन अवार्ड प्रदान किया गया।

(6) रैंप (RAMP) :-

रैंप (Raising and Accelerating MSME Performance) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तथा विश्व बैंक समर्थित योजना है। इस योजना के अंतर्गत एमएसएमई इकाईयों की बाज़ार तक पहुँच बढ़ाने, ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता में सुधार लाने, नवाचार एवं महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने, विलंबित भुगतानों से संबंधित समस्याओं में कमी लाने तथा केन्द्र एवं राज्यों के बीच संस्थागत समन्वय को मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए रणनीतिक निवेश योजना (Strategic Investment Plan – SIP) को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त है तथा योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम को राज्य नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

राज्य में रैंप के अंतर्गत स्वीकृत प्रमुख कार्यक्रमों में क्षमता वृद्धि कार्यक्रम, महिला उद्यमिता संवर्धन, क्षेत्र विशिष्ट पहल, बाजार तक पहुंच, निर्यात संवर्धन, वित्त तक पहुँच तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण शामिल हैं। योजनांतर्गत 149 जिला–स्तरीय जागरूकता कार्यक्रमों में कुल 5,270 लाभार्थी सम्मिलित हुए हैं। कुल 35 उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) में 1,106 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(7) स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति (अप्रैल, 2025 से दिसम्बर, 2025 तक) :-

(i) प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना (PMVIKAS) :-

केन्द्र शासन द्वारा कुल 18 प्रकार के कारीगरों की श्रेणी की पहचान कर उन्हें कौशल उन्नयन योजना से जोड़ कर उन्नत टूल किट प्रदाय करने के उद्देश्य से सितम्बर, 2023 से योजना प्रारंभ की गयी है। 18 ट्रेड में बढ़ई, धोबी, सोनार, लोहार, मूर्तिकार, नाई, तालासाज, कुम्हार, चर्मकार, राजमिस्त्री इत्यादि शामिल हैं। योजनांतर्गत स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दर 5 प्रतिशत पर 18 माह हेतु बैंक ऋण 01 लाख रुपये प्रावधानित है, ऋण के पुनर्भुगतान उपरांत 02 लाख रुपये का ऋण 30 माह हेतु दिये जाने का प्रावधान है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग प्रदेश में नोडल विभाग है। योजनांतर्गत प्रगति निम्नानुसार है:–

a.	ऑनलाईन प्राप्त आवेदन	–	9,67,615
b.	जिलों से अनुशंसित (स्टेज–2)	–	2,54,410
c.	एमएसएमई डीएफओ द्वारा अनुशंसित (स्टेज–3)	–	1,16,388
d.	बेसिक ट्रेनिंग	–	79,242
e.	टूलकिट वितरण	–	30,993
f.	बैंकों से प्रथम ऋण स्वीकृत	–	10,456

(ii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) :-

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। योजनांतर्गत राज्य के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यान्वयी अभिकरण हैं। योजनांतर्गत स्वरोजगार हेतु एकल स्वामित्व के

विनिर्माण / सेवा / व्यवसाय गतिविधियों हेतु ऑनलाईन प्राप्त प्रकरणों को परीक्षणोपरांत बैंकों को प्रेषित किये जाते हैं। योजनांतर्गत आवेदन के वर्ग (आकांक्षी जिला, अनुसूचित जाति / जनजाति, महिला, दिव्यांग, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, तृतीय लिंग, अल्पसंख्यक) एवं शहरी / ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार स्वीकृत परियोजना लागत का 15 से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान भारत शासन द्वारा डीबीटी के माध्यम से हितग्राही को उपलब्ध कराया जाता है। योजनांतर्गत वर्ष 2025–26 में दिसम्बर, 2025 तक प्रगति निम्नानुसार है –

a. लक्ष्य – 510
b. ऑनलाईन प्राप्त आवेदन – 2,420
c. बैंकों को प्रेषित प्रकरण – 2,086
d. स्वीकृत प्रकरण – 416
e. ऋण वितरण – 103 (*स्वीकृति / वितरण प्रगतिरत है)

(iii) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) :-

खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना, विस्तार हेतु खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत शासन द्वारा संचालित स्वरोजगार योजना है। योजनांतर्गत क्रेडिट लिंक्ड हितग्राहीमूलक योजना, कॉमन फेसीलिटी सेंटर, स्व–सहायता समूहों को सीड कैपिटल योजना इसमें शामिल है। क्रेडिट लिंक्ड योजनांतर्गत बैंक ऋण के माध्यम से इकाई स्थापित करने पर स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपये अनुदान का प्रावधान है। उक्त योजना वर्ष 2020–21 से संचालित है, जिसमें वर्ष 2025–26 में दिसम्बर, 2025 तक प्रगति निम्नानुसार है –

a. लक्ष्य – 1884
b. ऑनलाईन प्राप्त आवेदन – 2030
c. स्वीकृत प्रकरण – 381
d. ऋण वितरण – 196 (*स्वीकृति / वितरण प्रगतिरत है)

(iv) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) :-

(राशि करोड़ में)

शिशु (रु. 50,000)			किशोर (रू 50,000 से अधिक रु. 5 लाख तक)			तरूण (रु. 5 लाख से अधिक रु. 10 लाख तक)			तरूण प्लस (रु. 10 लाख से अधिक रु. 20 लाख तक)			**महायोग**		
खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
242140	899.21	864.50	313851	4149.23	4003.66	24319	1939.13	1830.22	394	63	62.68	580704	7050.58	6761.06

(8) छत्तीसगढ़ स्टार्टअप योजना :-

i. जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक राज्य में भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कुल 507 नवीन स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं, तथा राज्य में दिसम्बर 2025 की स्थिति में कुल 2,140 भारत सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप पंजीकृत है।

ii. रजत जयंती वर्ष के अवसर पर अक्टूबर–नवम्बर 2025 में ''छत्तीसगढ़ आईडियाथॉन'' का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य से 1,742 छात्र/स्टार्टअप ने भाग लिया तथा इन्हीं प्रतिभागियों में से कुल 50 प्रतिभागियों द्वारा अपने विचार राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति के समक्ष दिनांक 2 नवम्बर, 2025 को प्रस्तुत किया। उपरोक्त प्रतिभागियों में से कुल 10 छात्रों/स्टार्टअप को दिनांक 4 नवम्बर को आयोजित ''टेकस्टार्ट'' कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से पुरस्कृत किया गया। ''टेकस्टार्ट'' कार्यक्रम में टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कार्यरत कुल 8 स्टार्टअप इकाइयों को अपने सेवा/उत्पाद को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया गया।

iii. दिनांक 30 अगस्त, 2025 को उद्योग भवन में ''इनक्यूबेटर राउंडटेबल'' का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न इनक्यूबेटर के कुल 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

iv. दिनांक 12 नवम्बर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ''ट्राइबल बिज़नेस कॉन्क्लेव'' में राज्य के स्टार्टअप इकाइयों द्वारा जनजातीय हस्तशिल्प, फूड प्रोसेसिंग, वेलनेस उत्पाद, वनोपज आधारित बाजार से सम्बंधित उत्पाद व पहलों का प्रदर्शन किया गया।

v. राज्योत्सव–2025 के अवसर पर कुल 06 स्टार्टअप इकाईयों द्वारा अपने उत्पाद का प्रदर्शन किया गया।

vi. दिनांक 8 अगस्त, 2025 को स्टार्टअप मिडिल ईस्ट के सहयोग से उद्योग भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्टार्टअप इकाईयों को मध्य पूर्वी क्षेत्रों जैसे यूएई, ईरान इत्यादि देशों में अपने व्यापार को कैसे प्रारंभ करने जैसे विषयों पर जानकारी प्रदान की गयी। आयोजन में राज्य के कुल 30 स्टार्टअप इकाइयों द्वारा भाग लिया गया।

3. उद्योग संचालनालय के अधीन विभिन्न जिलों में औद्योगिक भूमि की जानकारी:-

(1) स्थापित औद्योगिक क्षेत्र:-

क्र.	जिला	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हे. में)	आबंटन योग्य भूमि (हे. में)	आबंटित भूमि (हे. में)
1	2	3	4	5	6
(1)	दुर्ग	भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई	550.372	162.532	162.532
(2)	दुर्ग	हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई	289.812	185.808	185.808
(3)	दुर्ग	औद्योगिक संस्थान, भिलाई	89.649	82.613	82.613
(4)	जगदलपुर	औद्योगिक क्षेत्र, कुरन्दी	74.750	8.387	8.387
(5)	कोरबा	औद्योगिक क्षेत्र, कोरबा	40.000	22.457	22.457
(6)	दुर्ग	औद्योगिक संस्थान, दुर्ग	21.736	16.313	16.313
(7)	दुर्ग	औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम बोड़ेगांव	8.158	5.061	5.061
(8)	रायगढ़	अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, रायगढ़	9.860	5.202	5.202
(9)	रायगढ़	ग्रामीण कर्मशाला, पुसौर	0.942	0.418	0.418
(10)	जांजगीर–चांपा	औद्योगिक क्षेत्र, कोरबा रोड, चांपा	8.720	5.090	5.090
(11)	जगदलपुर	औद्योगिक क्षेत्र, गीदम रोड	13.658	10.567	10.567
(12)	जगदलपुर	अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, फ्रेजरपुर	12.760	12.727	12.727
(13)	जगदलपुर	औद्योगिक क्षेत्र, पंडरीपानी	4.876	4.876	4.876
(14)	राजनांदगांव	औद्योगिक संस्थान, ममता नगर, राजनांदगांव	7.769	7.237	7.237
(15)	राजनांदगांव	औद्योगिक क्षेत्र, सोमनी	4.046	2.043	2.043
(16)	राजनांदगांव	औद्योगिक क्षेत्र, मोहारा	2.428	2.417	2.417
(17)	राजनांदगांव	औद्योगिक क्षेत्र, गठुला	1.618	0.404	0.404
(18)	राजनांदगांव	ग्रामीण कर्मशाला, डोंगरगढ़	1.214	0.708	0.708
(19)	सरगुजा	अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, बनारस रोड, अंबिकापुर	9.49	7.06	7.06
(20)	सरगुजा	औद्योगिक क्षेत्र, अजिरमा	6.07	4.00	4.00
(21)	जशपुर	अर्द्धशहरीय औद्योगिक क्षेत्र, गम्हरिया	4.047	2.885	1.384
(22)	कोण्डागांव	औद्योगिक क्षेत्र, आड़काछेपड़ा, कोण्डागांव	2.63	2.15	2.15
(23)	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	औद्योगिक क्षेत्र, चैनपुर	2.485	2.286	2.286
(24)	कोरिया	ग्रामीण कर्मशाला, बैकुण्ठपुर	0.111	0.111	0.111
(25)	नारायणपुर	ग्रामीण कर्मशाला, नारायणपुर	2.12	1.71	1.71
		कुल योग :–	**1166.951**	**555.062**	**553.561**

(2) **औद्योगिक प्रयोजन हेतु लैण्ड बैंक :-** महासमुंद जिले के ग्राम जंगलबेड़ा, पंडापारा एवं गोहिरापाली, तहसील–सरायपाली में कुल 253.59 हेक्टेयर, धमतरी जिले के ग्राम भालूझूलन, तहसील कुरूद में 11 हेक्टेयर एवं ग्राम करेलीबड़ी, तहसील–मगरलोड में 14 हेक्टेयर भूमि लैण्ड बैंक के रूप में विभाग के आधिपत्य में प्राप्त हुई।

पंजीयक–फर्म्स एवं संस्थाएं (Registrar Firms & Societies)

1. सामान्य जानकारी :-

कार्यालय पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ, विभागाध्यक्ष कार्यालय है। इसका मुख्यालय इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर में है एवं विभागाध्यक्ष रजिस्ट्रार हैं। रजिस्ट्रार को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत पंजीयन का कार्य सौंपा गया है। इस कार्यालय के अधीन सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं के चार कार्यालय बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग एवं बस्तर संभाग में कार्यरत हैं।

(1) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 :-

इस अधिनियम के अधीन भागीदारी फर्म का पंजीयन किया जाता है। समय–समय पर भागीदारों में व फर्मों की रचना में परिवर्तन होते हैं, उनको भी रिकार्ड में लिया जाता है तथा फर्मों में भागीदारों अथवा अन्य द्वारा चाहे जाने पर प्रलेखों की प्रतियां जारी की जाती हैं। फर्म का पंजीयन ऑनलाईन दिनांक 30.06.2017 से एवं ऑनलाईन परिवर्तन दिनांक 15.05.2018 से प्रारंभ है। दिनांक 31.12.2025 तक कुल पंजीकृत फर्मों की संख्या 43,358 है।

(2) छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 :-

अधिनियम के अधीन शैक्षणिक सांस्कृतिक, सामान्य, जनकल्याणकारी व अन्य प्रकार की स्वयं सेवी संस्थाओं, शासकीय एजेंसियों, अर्द्ध–शासकीय संस्थाओं का भी समिति के रूप में पंजीयन किया जाता है। पंजीकृत संस्थाओं की जांच, विशेष ऑडिट, निरीक्षण, निर्वाचन, पंजीकृत दस्तावेजों की प्रतिलिपि तथा प्रशासक की नियुक्ति आदि कार्य किये जाते हैं। सोसायटी का पंजीयन ऑनलाईन दिनांक 30.06.2017 से एवं संशोधन दिनांक 13.02.2018 से प्रारंभ है। दिनांक 31.12.2025 तक कुल पंजीकृत समितियां 1,24,910 है।

(3) ऑनलाइन पंजीयन हेतु वेबसाइट www.rfas.cg.nic.in है। इसके अंतर्गत 24x7 समय में प्रकरण आवेदकों से अपने स्थान से ही पंजीयन प्रकरण जमा करने एवं पंजीयन प्रमाण पत्र भी स्थानीय स्तर पर प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। इस हेतु आवेदकों को इस कार्य हेतु कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पंजीकृत होने वाली एवं आवेदित आवेदनों पर की गई कार्यवाही की जानकारी 2017 से एसएमएस (SMS) अलर्ट द्वारा प्रेषित की जाती है।

2. अन्य कार्यवाहियां :-

(1) इस कार्यालय के अंतर्गत ई–फाईल (ई–ऑफिस) से कार्य प्रारंभ किया गया है। जनवरी, 2025 से दिसम्बर, 2025 तक कुल प्राप्त 9,090 आवेदनों का निराकरण किया गया है।

(2) न्यायालयीन प्रकरणों की CG CCMS से मॉनिटरिंग का पालन प्रारंभ किया गया है।

(3) बिज़नेस रिफॉर्म ऐक्शन प्लान के तहत् समिति एवं फर्मों की ऑनलाईन पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरलीकरण किया गया है।

3. सोसायटी एवं फर्म की पंजीयन संख्या -

इस विभाग द्वारा उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

(1) छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन कुल 3,345 समितियों को पंजीकृत किया गया।

(2) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन कुल 1,385 भागीदारी फर्मों को पंजीकृत किया गया।

4. राजस्व प्राप्तियाँ -

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 एवं छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के तहत् समितियों तथा फर्मों के पंजीयन एवं प्रशासन के अधीन विभाग को राजस्व प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिनांक 31.12.2025 तक) में निर्धारित लक्ष्य रुपये 5.75 करोड़ के विरूद्ध रुपये 4.42 करोड़ राजस्व प्राप्ति हुई है।

5. बजट आबंटन -

वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिनांक 31.12.2025 तक) बजट आबंटन (मात्र आयोजनेत्तर मद में आबंटित) राशि 3.82 करोड़ रु. के विरूद्व राशि 1.45 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (Boiler Inspectorate)

1. सामान्य जानकारी :-

वाष्पयंत्र निरीक्षकालय, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर में स्थापित एवं कार्यरत् है, जिसके कार्यालय प्रमुख मुख्य वाष्पयंत्र निरीक्षक हैं। वाष्पयंत्रों से संबंधित औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा बॉयलर अधिनियम, 2025 बनाया गया है। इसके अतिरिक्त बॉयलर विनियम, 1950 प्रभावशील हैं। बॉयलर अधिनियम, 2025 व इसके तहत बनाए नियमों को राज्य में लागू करने का कार्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय करता है, ताकि वाष्पयंत्रों से संबंधित औद्योगिक सुरक्षा बनी रहे। दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि में वाष्पयंत्र निरीक्षकालय के कार्य निष्पादन का विवरण निम्नानुसार है।

2. वाष्पयंत्रों का निरीक्षण :-

उपरोक्त अवधि में वाष्पयंत्र निरीक्षकालय द्वारा 1,158 जलभार परीक्षण, 80 नये वाष्पयंत्रों का पंजीयन, 1,233 वाष्पयंत्रों के प्रमाण–पत्रों का नवीनीकरण, 93 वाष्पयंत्रों का अनंतिम प्रमाण पत्र एवं 151 दुरूस्त हुए वाष्पयंत्रों का निरीक्षण कार्य पूर्ण किया गया। राज्य में लगभग 1,801 वाष्पयंत्र स्थापित हैं। जिनमें से लगभग 1,455 वाष्पयंत्र वर्तमान में कार्यरत हैं। दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि में कुल 1,415 (लगभग 97.25 % प्रतिशत) वाष्पयंत्रों के संपूर्ण निरीक्षण (विभागीय 1325 एवं स्वप्रमाणीकरण 90) किये गये हैं।

3. वाष्पयंत्र निरीक्षण की प्रक्रिया का सरलीकरण :-

भारत सरकार की Ease of Doing Business तथा राज्य सरकार की औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के अनुसार वाष्पयंत्रों की निरीक्षण की प्रक्रिया का सरलीकरण करने हेतु वाष्पयंत्रों के स्वप्रमाणीकरण की व्यवस्था राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.03.2015 द्वारा लागू की गई है। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत इकाईयां प्रशिक्षित बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर से वाष्पयंत्र का निरीक्षण करा सकेगी। वर्तमान में राज्य में स्थापित कुल 26 इकाईयों द्वारा वाष्पयंत्रों के स्वप्रमाणीकरण की व्यवस्था का लाभ लिया जा रहा है। दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि में कुल 90 वाष्पयंत्रों के स्वप्रमाणीकरण हुये हैं।

वाष्पयंत्रों के प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण एवं नये वाष्पयंत्रों के पंजीयन के ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। विभिन्न आवेदनों के साथ प्राप्त होने वाले प्रपत्रों/घोषणा पत्र/शपथ पत्र आदि में नोटरी/राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट से सत्यापन की अनिवार्यता समाप्त की गई एवं उक्त दस्तावेजों का स्वप्रमाणीकरण मान्य किया गया है।

4. बॉयलर अधिनियम, 2025 की धारा 38(3) के तहत छूट :-

वाष्पयंत्र का निरीक्षण एवं परीक्षण करने के उपरांत ठीक पाए जाने की स्थिति में वाष्पयंत्र का उपयोग करने हेतु एक वर्ष की अवधि का प्रमाण पत्र निरीक्षण दिनांक से जारी किया जाता है। उक्त प्रमाण पत्र की अवधि समाप्ति पर वाष्पयंत्र बंद कर इकाईयों द्वारा निरीक्षण एवं परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र का पुनः नवीनीकरण कराया जाता है। कभी–कभी आपात स्थिति में जब इकाईयों द्वारा प्रमाण पत्र की अवधि समाप्ति पर वाष्पयंत्र बंद करना संभव नहीं होता है, तब प्रमाण पत्र की अवधि के पश्चात् वाष्पयंत्र का उपयोग जारी रखने हेतु इकाइयों द्वारा राज्य शासन से अधिनियम की धारा 38(3) के तहत छूट प्राप्त की जाती है। यह छूट मुख्यतः पावर प्लांट के वाष्पयंत्रों को सीमित अवधि हेतु दी जाती है, जिससे राज्य में विद्युत की उपलब्धता प्रभावित न हो सके। उक्त अवधि में निम्न इकाईयों को छूट प्रदान की गयी है :–

स. क्र.	वाष्पयंत्र क्रमांक	इकाई का नाम	छूट की अवधि
(1)	सीजी/100	मे. भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को, कोरबा	दिनांक 26.03.2025 से 30.04.2025
(2)	सीजी/269	मे. एन.टी.पी.सी. लि., सीपत, बिलासपुर	दिनांक 26.02.2025 से 25.03.2025
(3)	सीजी/270	मे. एन.टी.पी.सी. लि., सीपत, बिलासपुर	दिनांक 10.06.2025 से 09.11.2025
(4)	सीजी/543	मे. कोरबा पावर लिमिटेड, कोरबा	दिनांक 26.08.2025 से 25.02.2026
(5)	सीजी/638	मे. अडानी पावर लिमिटेड, रायगढ़	दिनांक 29.08.2025 से 31.12.2025
(6)	सीजी/649	मे. जिन्दल पावर लिमिटेड, तमनार, रायगढ़	दिनांक 05.08.2025 से 01.12.2025
(7)	सीजी/648	मे. जिन्दल पावर लिमिटेड, तमनार, रायगढ़	दिनांक 28.11.2025 से 30.04.2026

5. केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड :-

मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली के सदस्य हैं एवं छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड एक तकनीकी संस्था है, जिसका प्रमुख कार्य बॉयलर तकनीक में होने वाली निरंतर प्रगति को ध्यान में रखकर भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 में समय–समय पर संशोधन करना होता है। भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 की विभिन्न धाराओं में प्रस्तावित संशोधनों के आवेदनों पर वाष्पयंत्र निरीक्षकालय अपना तकनीकी अभिमत समय–समय पर केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड को प्रेषित कर रहा है। अधिनियम में बॉयलर अटेंडेंट परीक्षा के नियम, बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर परीक्षा के नियम, पंजीयन शुल्क

छोड़कर अन्य समस्त शुल्कों का निर्धारण करने के नियम तथा अधिकारियों की अर्हता निर्धारण करने के नियम बनाने के अधिकार भारत सरकार तथा केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड को दिये गये हैं। अधिनियम में राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय के समानान्तर प्राईवेट कंपीटेंट पर्सन, निरीक्षण प्राधिकारी तथा कंपीटेंट प्राधिकारी की व्यवस्था केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड द्वारा की गई है।

6. अभियोजन एवं अपील :-

दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि में अभियोजन अथवा अपील का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

7. बजट एवं वित्तीय जानकारी :-

वाष्पयंत्र निरीक्षकालय को स्थापना व्यय हेतु आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत बजट का आबंटन होता है। वर्ष 2025–26 में 314.55 लाख रु. का बजट अनुमोदित हुआ। वाष्पयंत्रों एवं स्पेयर निर्माण के निरीक्षण शुल्क से राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होती है। वर्ष 2025–26 हेतु 300.00 लाख रु. के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसकी पूर्ति माह नवंबर, 2025 तक हो चुकी है। दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक की अवधि में कुल राजस्व प्राप्ति 432.23 लाख रु. के विरूद्व व्यय 204.45 लाख रु. है, जिससे शासन को 227.78 लाख रु. की शुद्ध बचत हुई।

8. प्रमुख कार्य एवं उपलब्धियां :-

(1) राज्य में हो रहे तीव्र औद्योगिक विकास के अंतर्गत वाष्पयंत्रों के स्पेयर पार्ट्स निर्माण करने वाली 06 इकाईयां वर्तमान में कार्यरत हैं। इन इकाईयों द्वारा निर्मित किये गये स्पेयर पार्ट्स की छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न प्रांतों में अच्छी मांग है।

(2) केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड, भारत सरकार द्वारा मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र को राज्य में निर्मित होने वाले वाष्पयंत्रों एवं उनके कलपुर्जों के निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु निरीक्षण प्राधिकारी का दर्जा प्रदान किया गया है।

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड
(State Investment Promotion Board)

1. सामान्य जानकारी :-

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, छत्तीसगढ़ का कार्यालय उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर में स्थित है जिसके कार्यालय प्रमुख अपर संचालक हैं। माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, बोर्ड के अध्यक्ष तथा भारसाधक सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग बोर्ड के पदेन संयोजक हैं। राज्य में निवेश के इच्छुक उद्यमियों को सहयोग देने और उद्योग स्थापित करने हेतु आवश्यक क्लियरेंस तत्परता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड तथा राज्य के सभी 33 जिलों में जिला निवेश प्रोत्साहन समितियों का गठन किया गया है। जिला समितियों के चेयर पर्सन, संबंधित जिले के कलेक्टर तथा महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पदेन संयोजक हैं।

10 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति हेतु बोर्ड कार्यालय ''राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी'' के रूप में निवेशकों के लिए ''एकल संपर्क बिन्दु'' के रूप में कार्य करता है, जिससे निवेशकों को अपनी परियोजना से संबंधित सभी कार्यों के लिए विभिन्न कार्यालयों/विभागों से संपर्क करने के स्थान पर एक ही स्थल से संपर्क कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम–2002 में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम–2004 बनाये गये हैं। इस नियम के द्वारा निवेशकों को सभी विभागों/एजेंसियों से सहमति/अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई है।

2. निवेश प्राप्ति हेतु कार्यक्रम :-

औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के प्रचार–प्रसार एवं राज्य में निवेश आकर्षित करने हेतु विदेशों में यथा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जापान एवं दक्षिण कोरिया तथा माननीय उद्योग मंत्री जी की अध्यक्षता में जर्मनी में इन्वेस्टर कनेक्ट आयोजन किया गया। विभाग द्वारा देश के प्रमुख शहरों नई दिल्ली, मुम्बई, बैंगलुरू, अहमदाबाद के साथ साथ प्रदेश के रायपुर एवं बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट, इन्वेस्टर डायलॉग, केयर कनेक्ट, स्किल कनेक्ट, बस्तर कनेक्ट आदि कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं।

3. राज्य में ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के क्रियान्वयन अंतर्गत निवेश हेतु इच्छुक निवेशकों के प्रस्तावों की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए एम.ओ.यू. के स्थान पर 100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश

प्रस्ताव पर ''इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट पत्र'' एवं 100 करोड़ रुपये से कम के निवेश प्रस्तावों पर ''अभिस्वीकृति पत्र'' जारी किये जा रहे हैं।

(1) **इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट पत्र -** दिसम्बर, 2025 की स्थिति में निवेशकों से प्राप्त प्रस्तावों पर कुल 130 निवेशकों को इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट पत्र जारी किए गए हैं। इन निवेश प्रस्तावों में 3,66,566.94 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश तथा 1,45,762 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

जनवरी, 2025 से दिसंबर, 2025 तक कुल 101 निवेशकों को इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट पत्र जारी किए गए हैं। इन निवेश प्रस्तावों में 3,20,130.12 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश तथा 1,28,564 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। प्रमुख निवेश प्रस्तावों में कोर सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, टेक्सटाईल, फार्मास्युटिकल, फूड प्रोसेसिंग, पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट, हाईड्रो पावर प्रोजेक्ट, सोलर सेल मेन्युफैक्चरिंग तथा सेवा क्षेत्र अंतर्गत होटल एंड रिसॉर्ट, वेलनेस सेंटर, हॉस्पिटल, आईटी एवं आईटीईएस आदि के प्रस्ताव सम्मिलित हैं।

(2) **अभिस्वीकृति पत्र -** दिसम्बर, 2025 की स्थिति में निवेशकों से प्राप्त प्रस्तावों पर कुल 69 निवेशकों को अभिस्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें 1,903.48 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश तथा 7,877 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

जनवरी, 2025 से दिसंबर, 2025 तक कुल 65 निवेशकों को अभिस्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें 1,719.72 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश तथा 7,205 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। प्रमुख निवेश प्रस्तावों में टेक्सटाईल, मेडिकल इक्विपमेंट, फूड प्रोसेसिंग तथा सेवा क्षेत्र अंतर्गत होटल एंड रिसॉर्ट, वेलनेस सेंटर, हॉस्पिटल, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक आदि के प्रस्ताव सम्मिलित हैं।

4. पूर्व में निष्पादित एम.ओ.यू. में अब तक 57 परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है तथा 31 परियोजनाएं निर्माणाधीन है, जिनके शीघ्र ही उत्पादन में आने की संभावना है। 72 परियोजनाओं में क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। इन एम.ओ.यू. परियोजनाओं में लगभग 21,000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश एवं लगभग 22,000 स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd.)

1. सामान्य जानकारी :-

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ का कार्यालय उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर में स्थित है, जिसके कार्यालय प्रमुख प्रबंध संचालक हैं। छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत ''छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड'' गठित है। इस निगम की अधिकृत पूंजी 10 करोड़ रुपये एवं प्रदत्त पूंजी 1.60 करोड़ रुपये है।

भारत शासन द्वारा वर्ष 2000 में किये गये राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंर्तगत स्थापित निगमों यथा–(1) मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर (2) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (3) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम (4) मध्यप्रदेश वित्त निगम (5) मध्यप्रदेश निर्यात निगम (6) मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (7) मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन (8) मध्यप्रदेश टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन को इसमें समाहित किया गया है।

2. निगम के नियंत्रणाधीन स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र/औद्योगिक क्षेत्र/पार्कों का विवरण :-

क्रमांक	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	आबंटन योग्य भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	334.25	216.73
(2)	औद्योगिक विकास केन्द्र सिलतरा, रायपुर	1184.40	872.812
(3)	औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी, बिलासपुर	338.42	217.49
(4)	औद्योगिक विकास केन्द्र बोरई, दुर्ग	450.810	192.462
(5)	औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी, बिलासपुर	244.86	157.56
(6)	औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी, रायपुर	164.300	103.48
(7)	इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज भिलाई	141.613	59.15
(8)	औद्योगिक क्षेत्र मेटल पार्क, रायपुर	95.659	28.68
(9)	औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर	55.84	39.48
(10)	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी), बिरकोनी, महासमुंद	96.42	41.82

क्रमांक	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	आबंटन योग्य भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
(11)	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी), नयनपुर–गिरवरगंज, सूरजपुर	51.23	24.06
(12)	फूड पार्क बगौद, धमतरी	68.74	23.45
(13)	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी), लखनपुरी, कांकेर	53.30	25.86
(14)	औद्योगिक क्षेत्र रावाभाठा, रायपुर	37.18	30.95
(15)	औद्योगिक क्षेत्र आमासिवनी, रायपुर	11.83	10.04
(16)	औद्योगिक क्षेत्र रानी दुर्गावती, अंजनी, पेण्ड्रारोड, गौरला–पेण्ड्रा–मरवाही	19.42	10.89
(17)	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी), हरिनछपरा, कबीरधाम	20.93	11.09
(18)	औद्योगिक क्षेत्र तेन्दुआ, रायपुर	20.99	10.60
(19)	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी), टेकनार, दन्तेवाड़ा	19.27	9.01
(20)	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी), कापन, जांजगीर चांपा	43.06	15.32
(21)	औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी, तिल्दा, रायपुर	32.32	15.29
(22)	औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर खुर्द, सरगुजा	12.25	4.73
(23)	इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC), नवा रायपुर	45.75	22.83
(24)	औद्योगिक क्षेत्र अवरेठी, भाटापारा, बलौदाबाजार–भाटापारा	8.61	5.48
(25)	औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी (ब्लॉक–ए, बी एवं सी), बिलासपुर	24.96	17.91
(26)	औद्योगिक क्षेत्र बरबसपुर, सूरजपुर	11.00	5.74
(27)	औद्योगिक क्षेत्र रिखी, सरगुजा	8.06	3.40
(28)	औद्योगिक क्षेत्र नारायणबहली, जशपुर	4.74	2.12
(29)	औद्योगिक क्षेत्र हथकेरा–बिदबिदा, मुंगेली	11.47	3.93
(30)	औद्योगिक क्षेत्र खपरीखुर्द, रायपुर	8.11	3.80
(31)	औद्योगिक क्षेत्र केसदा, बलौदाबाजार–भाटापारा	28.54	12.56

क्रमांक	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	आबंटन योग्य भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
(32)	औद्योगिक क्षेत्र सह फूड पार्क, पांगरीखुर्द, राजनांदगांव	19.60	11.33
(33)	औद्योगिक क्षेत्र महरूमखुर्द, राजनांदगांव	37.12	13.87
(34)	टेक्सटाईल पार्क, रायपुर	32.94	21.07
(35)	फार्मास्यूटिकल पार्क, रायपुर	57.41	30.18
(36)	रेडीमेड गारमेंट पार्क, रायपुर	8.16	4.32
(37)	प्लास्टिक पार्क, सरोरा, रायपुर	19.13	6.78
(38)	औद्योगिक क्षेत्र अभनपुर, रायपुर	16.14	5.76
(39)	औद्योगिक क्षेत्र गोगांव, रायपुर	14.05	6.65
(40)	औद्योगिक क्षेत्र गोंदवारा, रायपुर	12.46	4.80
(41)	औद्योगिक क्षेत्र सोनडोंगरी, रायपुर	14.01	7.31
(42)	औद्योगिक क्षेत्र सह फूड पार्क, श्यामतराई, धमतरी	8.83	1.59
(43)	औद्योगिक क्षेत्र जी–जामगांव, धमतरी	9.93	4.44
(44)	रेल पार्क, दुर्ग	20.03	8.57
(45)	औद्योगिक क्षेत्र सेलर, बिलासपुर	38.45	20.15
(46)	औद्योगिक क्षेत्र परसिया, मुंगेली	77.70	29.22
(47)	औद्योगिक क्षेत्र खम्हरिया, मुंगेली	24.28	10.87
(48)	औद्योगिक क्षेत्र सियारपाली–महुआपाली, रायगढ़	27.00	5.04
(49)	औद्योगिक क्षेत्र सह फूड पार्क उलकिया, सरगुजा	9.04	4.22
(50)	औद्योगिक क्षेत्र परसगढ़ी,मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	13.24	6.46
(51)	औद्योगिक क्षेत्र सह फूड पार्क फरसाबहार, जशपुर	6.07	2.91
(52)	औद्योगिक क्षेत्र सह फूड पार्क, सुकमा	5.89	2.33
(53)	औद्योगिक क्षेत्र चंदनु–रवेली, बेमेतरा	27.03	6.96

3. सूक्ष्म, एवं लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) :-

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए क्लस्टर विकास दृष्टिकोण अपनाने हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी) की योजना अक्टूबर 2019 से शुरू की गई। यह योजना राज्य में विशेष रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र, सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) के विकास के लिए तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में सीएसआईडीसी इस योजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी है।

नए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी) के दिशा निर्देशों दिनांक 24.05.2022 के अनुसार मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र के उन्नयन पर भी विचार किया गया है। आईडी परियोजना (अधोसंरचना विकास केन्द्र) के विकास/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स के लिए मानक परियोजना लागत को 10 करोड़ रु. से संशोधित कर 15 करोड़ रु. (केन्द्रीय अनुदान 60% अधिकतम सीमा 09 करोड़ रु.) किया गया है। परियोजना लागत का शेष 40% राज्य सरकार/राज्य क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा वहन किया जाना है। मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र के उन्नयन के लिए मानक परियोजना लागत 10 करोड़ रु. (केन्द्रीय अनुदान 50% है), आकांक्षी जिलों के लिए भारत सरकार का अनुदान 10% अधिक है।

एमएसई–सीडीपी योजना के तहत् 09 औद्योगिक क्षेत्र लखनपुरी, कापन, खम्हरिया, परसगढ़ी, सियारपाली, बिरकोनी, हरिनछपरा, गिरवरगंज एवं तिफरा (सेक्टर–डी) की परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है।

4. स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क :-

(1) मेटल पार्क- जिला रायपुर :- विशिष्ट उद्योगों पर आधारित औद्योगिक पार्कों की स्थापना के अंतर्गत रायपुर में रावाभाटा में फेरस तथा नॉन फेरस डाऊनस्ट्रीम अप्रदूषणकारी सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने की दृष्टि से रायपुर शहर से 12 कि.मी. की दूरी पर ग्राम रावाभाटा में मेटल पार्क विकसित किया गया है।

(2) इंजीनियरिंग पार्क- जिला दुर्ग :- विशिष्ट उत्पाद आधारित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के अंतर्गत इंजीनियरिंग उत्पाद संबंधी समूह उद्योगों के विकास हेतु भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई से लगे हुए ग्राम हथखोज में कुल 122.618 हेक्टेयर भूमि पर निगम द्वारा इंजीनियरिंग उत्पादों के क्लस्टर विकास हेतु इंजीनियरिंग पार्क विकसित किया गया है।

(3) इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफैक्चरिंग क्लस्टर- जिला रायपुर :- नया रायपुर में 48.56 हेक्टेयर भूमि पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना प्रारंभ किया जाकर उद्योग स्थापना हेतु अब तक 28 इकाईयों को भूमि आबंटन किया गया है तथा अन्य इकाईयों को भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आबंटित इकाईयों में से 08 इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है।

(4) फूड पार्क बगौद- जिला धमतरी :- ग्राम बगौद जिला–धमतरी में कुल 68.68 हेक्टेयर भूमि पर फूड पार्क की स्थापना की गई है। परियोजना लागत रु. 45.00 करोड़ रु. है। अधोसंरचना निर्माण कार्य प्रगति पर है। 44 इकाईयों को भूमि का आबंटन किया जा चुका है। आबंटित इकाईयों में से 13 इकाईयों के द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है तथा 10 इकाईयां निर्माणाधीन हैं।

(5) **टेक्सटाईल पार्क** :- शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में टेक्सटाईल पार्क की स्थापना हेतु नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण से कुल 81.395 एकड़ (3,29,393.8785 वर्गमीटर) भूमि टेक्सटाईल पार्क की स्थापना हेतु परियोजना प्राक्कलन लागत 32.55 करोड़ रु. (भूमि की लागत को मिलाकर) है। ग्राम कुर्रू, नवा रायपुर अटल नगर में 81.395 एकड़ पर टेक्सटाईल पार्क की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर है। ले–आउट अनुसार उक्त पार्क में 09 भूखण्ड उपलब्ध है।

(6) **प्लास्टिक पार्क** :- भारत सरकार के रसायन, उर्वरक केमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग की योजना अंतर्गत ग्राम सरोरा, जिला–रायपुर में 47.29 एकड़ (19.137 हेक्टेयर) में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जा चुकी है। उपरोक्त परियोजना की स्थापना के अंतर्गत अधोसंरचना निर्माण कार्य की प्राक्कलित राशि 4,209.14 लाख रु. है, जिसमें से 50 प्रतिशत अंशदान राशि 2,104.57 लाख रु. भारत सरकार एवं 50 प्रतिशत अंशदान राशि 2,104.57 लाख रु. राज्य सरकार का है। औद्योगिक क्षेत्र उरला, सरोरा में प्लास्टिक पार्क की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक 04.10.2023 को राशि 4,183.26 लाख रु. स्वीकृत किया गया है। प्लास्टिक पार्क में ले–आउट अनुसार कुल 48 प्लाट है। सभी प्लाट हेतु ऑनलाईन आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(7) **फार्मास्युटिकल पार्क** :- शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में फार्मास्युटिकल पार्क की स्थापना हेतु की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में मेडिकल डिवाईस पार्क हेतु पूर्व में एन.आर.ए.एन.व्ही.पी. से क्रय की गई भूमि फार्मास्युटिकल पार्क की परियोजना हेतु उपयुक्त प्रतीत होने को दृष्टिगत रखते हुए निगम द्वारा नवा रायपुर, अटल नगर के सेक्टर–22 में वर्तमान में कुल 141.84 एकड़ (संशोधित भूमि रकबा) भूमि पर फार्मास्युटिकल पार्क की स्थापना हेतु परियोजना प्राक्कलन लागत 161.13 करोड़ रु. (भूमि की लागत को मिलाकर) है। वर्तमान में अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर है। फार्मास्युटिकल पार्क में ले–आउट अनुसार कुल 30 प्लाट है। सभी प्लाट हेतु ऑनलाईन आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(8) **रेडीमेड गारमेंट पार्क** :- नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण से क्रय कुल 20.1668 एकड़ (81,612.448 वर्गमीटर) भूमि पर रेडिमेड गारमेंट पार्क की स्थापना की परियोजना प्राक्कलन लागत 139.48 करोड़ रु. (भूमि की लागत को मिलाकर) है। नवा रायपुर, अटल नगर के सेक्टर–05 में 20.1668 एकड़ पर रेडीमेड गारमेंट पार्क की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर है। ले–आउट अनुसार उक्त पार्क में 30 भूखण्ड उपलब्ध है। सभी प्लाट हेतु ऑनलाईन आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

5. स्थापनाधीन/प्रस्तावित विशिष्ट औद्योगिक पार्क :-

(1) नवीन फूड पार्क एवं अन्य औद्योगिक प्रयोजनः- राज्य शासन द्वारा नवीन फूडपार्क एवं अन्य औद्योगिक प्रयोजन हेतु स्थापना का कार्य किया जा रहा है। इस योजनांतर्गत 11 फूड पार्कों में अधोसरंचना विकास कार्य पूर्ण हो गया है। इन फूड पार्कों में प्लाट आबंटन हेतु ऑनलाईन आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 02 फूड पार्कों में अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर है।

क्र.	जिले का नाम	ग्राम का नाम	रिमार्क
1	2	3	4
i.	जशपुर	बरबसपुर	भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रारंभ।
ii.	जशपुर	फरसाबहार	भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रारंभ।
iii.	जशपुर	नारायणबहली	भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रारंभ।
iv.	सरगुजा	रिखी	भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रारंभ।
v.	सरगुजा	उलकिया	भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रारंभ।
vi.	राजनांदगांव	पांगरीखुर्द	भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रारंभ।
vii.	मुंगेली	हथकेरा–बिदबिदा	भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रारंभ।
viii.	रायपुर	खपरीखुर्द	भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रारंभ।
ix.	बेमेतरा	चन्दनू–रवेली	भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रारंभ।
x.	धमतरी	श्यामतराई	भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रारंभ।
xi.	सुकमा	सुकमा	भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रारंभ।
xii.	सुकमा	पाकेला	अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर।
xiii.	सुकमा	फन्दीगुड़ा	अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर।

(2) आदर्श औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम गतवा-बिर्रा-सिलादेही, जिला जांजगीर-चांपा :- राज्य शासन द्वारा नवीन आदर्श औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना का कार्य किया जाना है। इस औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु कुल रकबा 981.60 एकड़ के लिये परियोजना प्राक्कलन लागत 388.35 करोड़ रु. (भूमि की लागत को मिलाकर) है। केंद्र सरकार की राज्यों को पूंजीगत व्यय (निवेश) हेतु विशेष सहायता योजना वर्ष 2024–25 के अंतर्गत परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके तहत् राज्य शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति पत्र क्र. एफ 18–25/2024/11/6 दिनांक 20.03.2025 के तहत् राशि 100.00 करोड़ रु. की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान में अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत अभिविन्यास के अनुसार 132 भूखण्ड पृथक–पृथक आकार के लघु एवं वृहद इकाईयों के लिए प्रावधानित है।

(3) **आदर्श औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम बिजेतला, जिला राजनांदगांव** :- राज्य शासन द्वारा नवीन आदर्श औद्योगिक क्षेत्र ग्राम बिजेतला, जिला राजनांदगांव में रकबा 421.89 एकड़ में आदर्श औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किया जाना है। इस परियोजना प्राक्कलन लागत 308.27 करोड़ रु. (भूमि का लागत को मिलाकर) है। केंद्र सरकार की राज्यों को पूंजीगत व्यय (निवेश) हेतु विशेष सहायता योजना वर्ष 2024–25 के अंतर्गत परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके तहत् राज्य शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति पत्र क्र. एफ 18–25/2024/11/6 दिनांक 20.03.2025 के द्वारा राशि 45.00 करोड़ रु. की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान में अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत अभिविन्यास अनुसार 52 भूखण्ड पृथक–पृथक आकार के लघु एवं वृहद इकाईयों के लिए प्रावधानित है।

(4) **आदर्श औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम नियानार, तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर** :- राज्य शासन द्वारा नवीन आदर्श औद्योगिक क्षेत्र ग्राम नियानार, तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर में रकबा 118.00 एकड़ में आदर्श औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किया जाना है। इसकी परियोजना प्राक्कलन लागत राशि 38.95 करोड़ रु. (भूमि का लागत को मिलाकर) है। वर्तमान में अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत अभिन्यास अनुसार 76 भूखण्ड पृथक–पृथक आकार के लघु एवं वृहद इकाईयों के लिए प्रावधानित है।

(5) **नवीन कामकाजी महिला छात्रावास भवन, ग्राम उसलापुर एवं ग्राम कोनी, जिला बिलासपुर** :- भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 24.02.2025 के तहत् बिलासपुर में दो स्थानों पर ''वर्किंग वूमन हॉस्टल'' निर्माण किये जाने हेतु राशि 25.25 करोड़ रु. एवं राशि 26.15 करोड़ रु. की स्वीकृति दी गई है। ग्राम कोनी, जिला बिलासपुर में 0.607 हेक्टेयर शासकीय भूमि का आधिपत्य एवं ग्राम उसलापुर, जिला बिलासपुर में 0.607 हेक्टेयर शासकीय भूमि सीएसआईडीसी को अग्रिम आधिपत्य में प्रदान किया गया है। कामकाजी महिला छात्रावास कोनी के अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर है।

(6) **परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई** :- सीएसआईडीसी के अधीन श्रेणी अंकन एवं परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई के द्वारा प्रतिवर्ष क्षेत्रीय लघु उद्योग इकाईयों को उनके उत्पादों की औसतन लगभग 3500–4000 परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रयोगशाला हेतु एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त की गई है एवं इसके प्रमाण–पत्र राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है।

6. कौशल उन्नयन गतिविधियां :-

(1) एम.एस.एम.ई. टेक्नोलॉजी सेंटर, बोरई, दुर्ग :- भारत सरकार, एम.एस.एम.ई. मंत्रालय द्वारा ''टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम'' के अंतर्गत बोरई, जिला–दुर्ग में टूल रुम की स्थापना की गई है। इस संस्थान में एम.एस.एम.ई. उद्योगों को परीक्षण सुविधा एवं युवाओं को विभिन्न ट्रेड्स में कौशल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है।

(2) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सीपेट) :- प्लास्टिक उद्योग में युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु सीपेट (सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी) स्थापित किया गया है। यहां दीर्घकालीन, डिप्लोमा तथा पीजी डिप्लोमा कोर्स संचालित है।

7. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) :-

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना का प्रारंभ किया गया है। योजनांतर्गत सीएसआईडीसी स्टेट नोडल एजेंसी है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बजट राशि 51.31 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है, जिसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राशि राज्यांश का है। इस वित्तीय वर्ष में 10.00 करोड़ रु. केन्द्रांश तथा 6.00 करोड़ रु. राज्यांश, कुल राशि 16.00 करोड़ रु. प्राप्त हो चुका है। योजना में SRLM के SHGs के 10,091 सदस्यों को राशि 11.16 करोड़ रु. एवं SULM के SHGs के 1,194 सदस्यों को राशि 3.29 करोड़ रु. सीड कैपिटल हेतु वितरित किया गया है।

8. निगम की वर्ष 2025-26 में व्यावसायिक गतिविधियां :-

(1) लघु उद्योगों को परीक्षण जांच की सुविधा :-

श्रेणी अंकन एवं परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई :– सीएसआईडीसी के अधीन श्रेणी अंकन एवं परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई के द्वारा प्रतिवर्ष क्षेत्रीय लघु उद्योग इकाईयों को उनके केमिकल, मेटलर्जिकल सैम्पल सिविल व मेकेनिकल उत्पादों की औसतन लगभग 3500–4000 सैम्पल परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । यह परीक्षण प्रयोगशाला नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज़ (एन.ए.बी.एल.) से मान्यता प्राप्त है (प्रमाण पत्र संख्या टीसी–13078)।

परीक्षित सैम्पल	–	3,652
आय	–	16,48,860 रु.

(2) **भू-आबंटन आवेदनों को ऑनलाईन प्राप्त करना :-** छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के परिपालन में उद्यमी को भूमि आबंटन के लिये ई–निविदा की सुविधा प्रदान की गई है। इसके पश्चात् मांगपत्र, आशयपत्र, आबंटन आदेश, भू–प्रब्याजि में छूट, आशय पत्र में समयावधि विस्तार, संशोधित मांगपत्र आदि की समस्त प्रक्रिया के लिये नवीन ऑनलाईन सुविधा "oneclick.cgstate.gov.in" पर उपलब्ध है।

(3) **जल-आपूर्ति संयोजन हेतु ऑनलाईन आवदेन पत्र सुविधा :-** इकाईयों को जल–आपूर्ति के लिये ऑनलाईन आवेदन एवं देयक सुविधा प्रारंभ की गई है।

(4) **औद्योगिक क्षेत्रों का जी.आई.एस. मैप एवं ड्रोन सर्वे :-** राज्य में औद्योगिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक क्षेत्रों एवं लैण्ड बैंक का जी.आई.एस. मैप एवं ड्रोन सर्वे कराया जाकर नवीन जीआईएस सुविधा "https://cggis.cgstate.gov.in/csidc/" प्रारंभ की गई है। साथ ही मैपिंग संबंधी अन्य रिपोर्ट सीएसआईडीसी के पोर्टल "csidc.cgstate.gov.in" पर भी उपलब्ध है।

(5) **ऑनलाईन भुगतान सुविधा :-** सीएसआईडीसी द्वारा भू–आबंटी इकाईयों से भू–आबंटन से संबंधित समस्त राशियों (प्रीमियम, लीज़ रेंट, मेंटनेंस आदि) की वसूली हेतु ऑनलाईन भुगतान सुविधा सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई है।

9. अन्य अधोसंरचना :-

(1) **सीएसआईडीसी कॉर्पोरेट टॉवर-ए, रायपुर :-** रायपुर शहर के तेलीबांधा क्षेत्र में जी+5 तल (क्षेत्रफल 11,188 वर्गफुट प्रति तल) का कॉर्पोरेट भवन का निर्माण किया गया है, जिसके भूतल एवं प्रथम तल पर कुल 46 दुकान में से 25 आबंटित हैं, 4 दुकानें छत्तीसगढ़ मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को मासिक किराये पर दिया गया है एवं रिक्त 17 दुकानों की आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ एवं पंचम तल Central Board of Secondary Education (CBSE) को मासिक किराये पर आबंटित किया गया है।

(2) **सीएसआईडीसी कॉर्पोरेट टॉवर-बी, रायपुर :-** रायपुर शहर के तेलीबांधा क्षेत्र में जी+6 तल का कॉर्पोरेट भवन का निर्माण किया गया है, जिसके भूतल एवं प्रथम तल पर कुल 38 दुकान में से 13 आबंटित है, एवं रिक्त 25 दुकानों की आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी तल रिक्त है एवं आबंटन योग्य हैं।

(3) **उद्योग भवन, रायपुर** :- रायपुर शहर के तेलीबांधा क्षेत्र में जी+3 तल का वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया गया है, जिसके भूतल पर उद्योग संचालनालय एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल पर सीएसआईडीसी मुख्यालय स्थापित है। परिसर के द्वितीय तल पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, तृतीय तल पर एमएसटीसी लि., ई.सी.जी.सी. लि., फिक्की, पी.एच.डी. चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज़ के कार्यालय मासिक किराये पर आबंटित हैं। इसके अतिरिक्त तृतीय तल पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, वाष्पयंत्र निरीक्षकालय एवं सीएसआईडीसी तकनीकी कक्ष रायपुर को कार्यालय हेतु भी आबंटित किया गया है।

(4) **वाणिज्यिक परिसर, डंगनिया, रायपुर** :- रायपुर के डंगनिया क्षेत्र में निगम के आधिपत्य की भूमि पर पांच तल का वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया गया है। जिसमें भूतल में 300 वर्गफीट की 2 दुकानें एवं 900 वर्गफीट की 1 ऑफिस कार्यालय उपलब्ध है। प्रथम तल पर सी.आर.सी.एल., द्वितीय तल पर सी.ई.आर.एल., तृतीय तल ए.टी.डी.सी., चतुर्थ एवं पंचम तल पर आर.व्ही.एन.एल. के कार्यालय संचालित है। चतुर्थ एवं पंचम तल पर 2500–2500 वर्गफीट उपलब्ध है एवं आबंटन योग्य है।

(5) **सिलतरा शॉपिंग कॉम्पलेक्स, रायपुर** :- राज्य के रायपुर जिले के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। इस भवन में भूतल तथा प्रथम तल पर कुल 121 कक्ष (व्यवसायिक दुकान–108 / कार्यालय–12 / रेस्टोरेंट–1) निर्मित हैं, जिसमें 78 आबंटित है एवं 43 रिक्त हैं। रिक्त दुकानों के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(6) **व्यवसायिक परिसर, तिफरा, बिलासपुर** :- राज्य के बिलासपुर जिले में तिफरा व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया गया है। इस भवन के भूतल एवं प्रथम तल में कुल 16 कक्ष (दुकान–11 / कार्यालय–4 / बैंक एटीएम–1) निर्मित किये गये तथा आबंटन किया गया है।

(7) **व्यवसायिक परिसर, औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, बिलासपुर** :- राज्य के बिलासपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी में दो गोडाउन निर्माण किया गया है, जिसे किराये पर दिया गया है।

(8) **व्यवसायिक परिसर, बिरकोनी, महासमुंद** :- राज्य के महासमुंद जिले में एकीकृत औद्योगिक विकास केन्द्र, बिरकोनी में 10 दुकानों का निर्माण किया गया है, जिसमें 3 आबंटित है और 7 दुकान रिक्त है। रिक्त दुकानों के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(9) **प्रशासनिक भवन, डीडीयू नगर, रायपुर** :- रायपुर शहर के दीनदयाल उपाध्याय नगर में जी+1 तल का प्रशासनिक भवन रिक्त है एवं आबंटन योग्य है।

(10) **व्यवसायिक परिसर, औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, कबीरधाम** :- राज्य के कबीरधाम जिले में हरिनछपरा औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया गया, जिसमें भूतल पर 6 दुकानें एवं प्रथम तल पर 1 प्रशासकीय भवन अर्थात कुल 7 भवन किराये पर देने हेतु आबंटन योग्य है।

(11) **औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर** :- रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र उरला व्यावसायिक परिसर में दो दुकान, सीएफसी बिल्डिंग, फील्ड हॉस्टल के आबंटन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(12) **इंजीनियरिंग पार्क, औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई** :- राज्य के औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई में 10 दुकानें रिक्त हैं एवं आबंटन योग्य है।

(13) **जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भवन, दुर्ग** :- दुर्ग शहर में जी+2 तल का प्रशासनिक भवन निर्मित है, जिसमें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग संचालित है।

(14) **औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी, तिल्दा** :- रायपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी, तिल्दा में उपलब्ध 6 दुकान आबंटन योग्य हैं।

(15) **डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, नवा रायपुर** :- छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरांत से एक दशक की अवधि में व्यापार एवं उद्योग की दिशा में तीव्र गति से हुए विकास एवं राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश तथा आयात–निर्यात की अपार संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, प्रदर्शनी, कॉन्फ्रेन्स, सेमीनार इत्यादि के लिये एक सर्व सुविधायुक्त ट्रेड सेंटर जिसमें आयात–निर्यात से संबंधित गतिविधियों के लिये एक्सपोर्ट फेसीलिटेशन सेंटर का प्रावधान भी हो, के निर्माण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा नई राजधानी क्षेत्र के ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर की स्थापना की जा रही है। उक्त परियोजना का निर्माण कार्य नोडल एजेन्सी छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा नवा रायपुर में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण से पट्टे पर प्राप्त कुल 100 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। कुल पुनरीक्षित परियोजना लागत 192.14 करोड़ रु. है।

वर्तमान में उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत कुछ आंतरिक सड़कों के साथ–साथ प्रदर्शनी परिसर, कल्चरल प्रोग्राम ग्राउण्ड, पाथवेज़ एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 700 सीटर ऑडिटोरियम सहित Export Facilitation cum Convention Centre तथा Cultural Programme Stage का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

10. इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन संबंधी कार्यकलाप :-

(1) विभाग के उपक्रम सीएसआईडीसी द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की ओर से इन्वेस्टर कनेक्ट इवेंट, सोशल मीडिया प्रमोशन, इन्वेस्टर राउन्ड टेबल जैसे कार्य किये जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को इण्डस्ट्रियल डेस्टिनेशन के तौर पर बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड एक्सपो 2025, ओसाका, जापान एवं सिओल, दक्षिण कोरिया का दौरा किया गया। इस दौरान ओसाका (जापान) एवं सिओल (दक्षिण कोरिया) में इंडियन डायस्पोरा तथा सीआईआई से संबद्ध एसोसिएशन के माध्यम से बी–टू–जी बैठकें की गई। माननीय उद्योग मंत्री जी के नेतृत्व में राज्य की नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024–30 के प्रचार प्रसार के लिये अनुगा, 2025 इवेंट में कोलोन (जर्मनी) का दौरा किया गया। इन्वेस्टर कनेक्ट इवेंट देश के मुख्य शहरों जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद में आयोजित किए गए हैं। प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर औद्योगिक विकास नीति 2024–30 का प्रमोशन किया जा रहा है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि पर प्रचार–प्रसार के अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट प्रमोशन हेतु विभिन्न औद्योगिक आयोजनों, प्रदर्शनियों में भी भाग लिया गया है।

(2) भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) का आयोजन दिनांक 14 से 27 नवंबर, 2025 को भारत मण्डपम्, नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन भारत सरकार की संस्था इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाईजेशन द्वारा किया जाता है। इस वर्ष की थीम **"एक भारत, श्रेष्ठ भारत"** थी। सीएसआईडीसी द्वारा इस आयोजन में छत्तीसगढ़ पेवेलियन निर्माण एवं संचालन किया गया। आयोजन में राज्य को विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ।

निवेश आयुक्त कार्यालय
(Investment Commissioner)

सामान्य जानकारी :-

1. निवेश आयुक्त का कार्यालय 16, भीखाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली के सीएसआईडीसी कार्यालय में स्थित है, जिसके कार्यालय प्रमुख निवेश आयुक्त हैं। छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय एवं संपर्क बिंदु के रूप में कार्य हेतु निवेश आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली की स्थापना की गई है, जिनके द्वारा संभावित निवेशकों से संपर्क स्थापित कर उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध निवेश अवसरों से अवगत कराया जाता है।

2. राज्य की औद्योगिक विकास नीति का प्रभावी प्रचार–प्रसार करते हुए उद्योग स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण के सृजन में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस क्रम में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न सम्मेलनों, कार्यक्रमों एवं आयोजनों में सहभागिता की जाती है तथा विदेशी दूतावासों, उच्चायोगों एवं व्यापार संवर्धन संगठनों के साथ सतत् संपर्क एवं समन्वय स्थापित किया जाता है, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक एवं निवेश संभावनाओं की दृश्यता एवं पहुंच को सुदृढ़ किया जा सके। निवेश आयुक्त द्वारा केन्द्र सरकार की संचालित विभिन्न औद्योगिक एवं निवेश संबंधी परियोजनाओं एवं विषयों पर समन्वय तथा मंत्रालयीन समीक्षा बैठकों में विभाग की सहभागिता की जाती है।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (रेल परियोजनाएं प्रकोष्ठ)

राज्य में रेलवे लाईनों का विकास

राज्य के गठन के पूर्व राज्य में लगभग 1,186 कि.मी. का रेलवे नेटवर्क था। राज्य में रेल अधोसंरचनाओं का विकास करने के लिये राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम कंपनियां बनाई, जिसके माध्यम से रेल लाइनों का विकास किया जा रहा है।

वर्तमान में राज्य में निम्नांकित रेलवे कॉरीडोर एवं रेल लाईन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है–

1. ईस्ट रेल कॉरीडोर

ईस्ट रेल कॉरीडोर की स्थापना हेतु दिनांक 03.11.2012 को एम.ओ.यू. का निष्पादन एवं दिनांक 12.03.2013 को छत्तीसगढ़ शासन, एस.ई.सी.एल. व इरकॉन के इक्विटी पार्टनरशीप से ज्वाईंट वेंचर कंपनी का गठन किया गया है। दिनांक 18.01.2014 को परियोजना के क्रियान्वयन का अनुबंध इरकॉन कंपनी के साथ किया गया है। यह परियोजना दो चरणों में क्रियान्वित की जा रही है। ईस्ट रेल कॉरीडोर (Phase-1) खरसिया से धरमजयगढ़ के मध्य तथा ईस्ट रेल कॉरीडोर (Phase-1) धरमजयगढ़ से कोरबा के मध्य बनाया जा रहा है।

ईस्ट रेल कॉरीडोर (Phase-1) का खरसिया–धरमजयगढ़–घरघोड़ा–डोंगा महूआ (124.7 कि.मी.) है व इस कॉरीडोर में 08 स्टेशन (गुरदा, छाल, घरघोड़ा, कोरीछापर, कुरूनकेला, धरमजयगढ़ रोड, डोलेसरा एवं पेलमा) है। इसकी परियोजना लागत 3,055 करोड़ रु. है तथा पुनरीक्षित लागत 3,407.09 करोड़ रु. है, जिसके विरूद्व 3,110.06 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। वर्तमान में निरंतर मालगाड़ी का परिचालन इस रेल लाईन के द्वारा किया जा रहा है। इस चरण में कुल 114.96 कि.मी. का कार्य पूर्ण हो चुका है। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का कार्य लगभग 92 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

ईस्ट रेल कॉरीडोर (Phase-2) धरमजयगढ़ से उरगा के मध्य 62.5 कि.मी. लंबाई में रु. 1,686.22 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जिसके विरूद्व 433.59 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है। परियोजना में कुल 20.28 कि.मी. का कार्य पूर्ण हो चुका है। परियोजना की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण हो गई है। इसके मार्च, 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है।

2. ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरीडोर

ईस्ट–वेस्ट रेल कॉरीडोर की स्थापना हेतु दिनांक 03.11.2012 को एम.ओ.यू. का निष्पादन एवं दिनांक 25.03.2013 को छत्तीसगढ़ शासन, एस.ई.सी.एल. व इरकॉन के इक्विटी पार्टनरशिप से ज्वाईंट

वेंचर कंपनी का गठन किया गया है। दिनांक 05.04.2014 को परियोजना के क्रियान्वयन का अनुबंध इरकॉन के साथ किया गया है। इसकी पुनरीक्षित परियोजना लागत 7,448.52 करोड़ रु. है।

परियोजना की स्थापना हेतु भू–अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण हो गई है। 155.379 कि.मी. में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ईस्ट–वेस्ट रेल कॉरीडोर का क्षेत्र गेवरा–पेण्ड्रारोड–उरगा–कुसमुंडा (155.379 कि.मी) है व इस कॉरीडोर में 09 स्टेशन (सुराकछार, कटघोरा, बिंझरा, पुटुवा, मटिनि, सेन्डुगढ़, पुटी पखना, भाड़ी, धनगवां) स्थापित होंगी। परियोजना की भौतिक प्रगति 66.69 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 60.00 प्रतिशत है।

उक्त दोनों कॉरीडोर के बन जाने से सुदूर आदिवासी अंचलों में यात्री परिवहन में आसानी के साथ–साथ माल परिवहन भी प्रारंभ करना संभव होगा।

3. दल्ली राजहरा-रावघाट रेल लाईन परियोजना :-

इस परियोजना में रेलवे लाईन की लंबाई 95 कि.मी. है। इसमें से दल्ली राजहरा एवं तोड़ोकी के मध्य 77 कि.मी. रेल लाईन का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा ट्रेन परिचालन भी आरंभ कर दिया गया है।

इस रेल लाईन परियोजना की अनुमानित निर्माण लागत 1,627.56 करोड़ रु. है। इस रेल लाईन के शेष हिस्से में निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है।

4. रावघाट-जगदलपुर परियोजना:-

इसकी परियोजना लागत 2,538.30 करोड़ रु. है व परियोजना में एन.एम.डी.सी., स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि., इरकॉन एवं छत्तीसगढ़ शासन की भागीदारी है। परियोजना की स्थापना हेतु स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) कंपनी–बस्तर रेलवे प्रा.लि. गठित की गई है।

रावघाट–जगदलपुर परियोजना की लंबाई 140 कि.मी. है। परियोजना की स्थापना हेतु ट्रैक एलाईनमेंट, लोकेशन सर्वे व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रेलवे लाईन हेतु भूमि अधिग्रहण अंतिम चरण में है। डी.पी.आर. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। बस्तर रेलवे प्रा.लि. (बी.आर.पी.एल.) बोर्ड द्वारा उक्त रेल परियोजना को रेल मंत्रालय को सौंपा जा चुका है।

5. चिरमिरी-नागपुर रोड हाल्ट रेल लिंक परियोजना :-

इसकी परियोजना लागत 241 करोड़ रु. है व परियोजना में भारतीय रेलवे एवं छत्तीसगढ़ शासन की 50:50 की भागीदारी है। परियोजना का क्रियान्वयन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किया जाना है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राज्यांश के संबंध में पुष्टि उपरांत इस लाईन के निर्माण हेतु दक्षिण मध्य पूर्व रेलवे द्वारा सर्वे की कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण होना अपेक्षित है।

चिरमिरी–नागपुर रोड हाल्ट रेल लिंक परियोजना की लंबाई 17 कि.मी. है। इस रेल लिंक की स्थापना से मनेन्द्रगढ़ के निवासियों को रेल आवागमन हेतु अतिरिक्त मार्ग प्राप्त होगा, जिससे मुख्य मार्ग की यात्री ट्रेनों की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

6. छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड :-

राज्य में रेलवे नेटवर्क के विकास हेतु दिनांक 09 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ शासन व भारत सरकार, रेल मंत्रालय के मध्य एक एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है। एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन हेतु छ.ग. शासन व रेल मंत्रालय की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी "छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड" भी गठित की गयी है, जिसमें राज्य शासन तथा रेल मंत्रालय (भारत सरकार) की भागीदारी क्रमशः 51 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत है। एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त उपक्रम अनुबंध दिनांक 04.08.2016 को निष्पादित किया गया है।

संयुक्त उपक्रम कंपनी द्वारा प्रथम चरण में निम्नांकित चार रेलवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चयन किया गया है, जो एस.पी.व्ही. के माध्यम से क्रियान्वित हो सकेगी।

(1) कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ (295 कि.मी.)

रेल मंत्रालय से डी.पी.आर. अनुमोदित है। परियोजना की स्वीकृत लागत 5,950.47 करोड़ रु. है। एसपीव्ही हेतु सी.आर.सी.एल., महाजेनको एवं ए.सी.बी.आई.ई.एल. के मध्य सहमति हुई एवं एसपीव्ही छत्तीसगढ़ कटघोरा – डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड का गठन किया गया। रेल मार्ग हेतु भू–अर्जन के लिए 195 ग्रामों का 20 A एवं 179 ग्रामों का 20 E में प्रकाशन एवं लोक सूचना पूर्ण हो चुकी थी, परन्तु प्रोमोटर्स से इक्विटी अंशदान प्राप्त नहीं हो पाने एवं जन सामान्य की मांग के आधार पर परियोजना के एलाइनमेंट के एक भाग में संशोधन विचाराधीन होने के कारण भू–अर्जन प्रक्रिया व्यपगत हो गई।

जन सामान्य की मांग के आधार पर परियोजना के एलाइनमेंट के एक भाग में संशोधन पर विचार हेतु फिजिबिलिटी स्टडी का कार्य तथा एलाइनमेंट कनेक्टिविटी विकल्प – 1 (कटघोरा – रतनपुर – तखतपुर – मुंगेली – पंडरिया – पांडातराई – बोड़ला – कवर्धा – खैरागढ़ – डोंगरगढ़) पर सहमति बनी। एसपीवी सी.के.डी.आर.एल. बोर्ड एवं सी.आर.ए.सी.एल. बोर्ड द्वारा भी उक्त एलाइनमेंट कनेक्टिविटी विकल्प को अनुमोदित किया गया।

छ.ग. शासन द्वारा पत्र दिनांक 23.02.2024 के माध्यम से परियोजना को पूर्व स्वीकृत एलाइनमेंट अनुसार किए जाने हेतु लेख किया गया।

सी.आर.सी.एल. बोर्ड द्वारा परियोजना को पूर्व स्वीकृत एलाइनमेंट अनुसार किए जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई तथा भू–अर्जन एवं अन्य कार्य प्रारंभ करने हेतु सैद्धांतिक सहमति सशर्त प्रदान की गई।

तदनुसार, पुनरीक्षित लागत 6,947.68 करोड़ रु. की गणना कर द.पू.म. रेलवे को 22.05.2024 को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया। द.पू.म. रेलवे द्वारा उक्त पुनरीक्षित लागत को रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त संयुक्त उपक्रम कंपनी को छ.ग. शासन द्वारा रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 421.79 करोड़ रु. राशि भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे उक्त परियोजना का निर्माण शीघ्र प्रारंभ हो सके।

(2) खरसिया-बलौदाबाजार-नवा रायपुर-परमलकसा (325 कि.मी.)

रेलवे बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक 26.12.2023 के माध्यम से दक्षिण–पूर्व–मध्य रेलवे, बिलासपुर को उक्त परियोजना हेतु डीपीआर स्वीकृति से संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया है। सीआरसीएल बोर्ड के निर्देशानुसार उक्त परियोजना से संबंधित समस्त दस्तावेज SECR को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

(3) अंबिकापुर-बरवाडीह रेलवे कॉरीडोर (182 कि.मी.)

रेलवे बोर्ड द्वारा एस.ई.सी.आर. को अंबिकापुर – बरवाडीह रेल परियोजना हेतु फाइनल लोकेशन सर्वे करने हेतु निर्देशित किया गया है, तदनुसार सीआरसीएल बोर्ड द्वारा उक्त परियोजना को सीआरसीएल द्वारा कार्यान्वयन के लिए चिन्हित परियोजनाओं की सूची से वर्तमान में बाहर कर दिया गया है।

(4) परसा-मतीन रेलवे कॉरीडोर (54 कि.मी.)

02 संभावित हितधारकों छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड एवं आंध्र प्रदेश मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एस.पी.वी. में निवेश हेतु विस्तृत चर्चा शासन स्तर पर बैठक आयोजित कर किया गया। वन विभाग के साथ चर्चा से यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त माइंस प्रस्तावित लेमरू एलीफैंट रिज़र्व के दायरे में आने के कारण परियोजना को कार्यान्वयन के लिए चिन्हित परियोजनाओं की सूची से वर्तमान में बाहर करने का निर्णय लिया गया है।

विभागीय बजट

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को आयोजना मद में केवल उद्योग संचालनालय को बजट प्राप्त होता है। यह बजट मांग संख्या–11, मांग संख्या–41 तथा मांग संख्या–64 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु प्राप्त होता है। आयोजना मद में वर्ष 2025–26 का योजनावार बजटीय प्रावधान एवं आबंटित राशि निम्नानुसार है :–

(राशि लाख रू. में)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2025–26	31 दिसम्बर, 2025 तक आबंटित राशि
1	2	3	4	5
1	11–3800	लघु उद्योगों की इनामी योजना	10.00	0.00
2	11–7825	स्टार्टअप छत्तीसगढ़	500.00	69.37
3	11–1464	जिला उद्योग केन्द्र (2851)	3757.70	2798.11
4	11–1175	ग्रामीण उद्यमी विकास प्रशिक्षण योजना	25.00	0.00
5	11–3370	संचालनालय उद्योग (2852)	1800.20	1516.50
6	11–5452	निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना (SIPB)	61.00	61.00
7	11–7957	छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास संस्थान	425.00	0.00
8	11–4826	आई.एस.ओ. 9000 के अन्तर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति	300.00	0.00
9	11–5447	तकनीकी पेटेंट अनुदान	100.00	0.00
10	11–5448	प्रौद्योगिकी प्रौन्नति कोष की स्थापना	0.10	0.10
11	11–5450	समूह आधारित उद्योगों का विकास (टेस्टिंग लैब, भिलाई)	0.10	0.10
12	11–6475	छ.ग. औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्रतिपूर्ति अनुदान	10000.00	90.43
13	11–711	औद्योगिक परियोजना तथा सर्वेक्षण की योजना	193.00	100.00
14	11–7742	इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान	200.00	0.00
15	11–7743	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान	100.00	0.00
16	11–7744	निःशक्तजन रोजगार अनुदान	250.00	0.00
17	11–7784	निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्कों के लिये अधोसंरचना अनुदान	1000.00	0.00
18	11–7785	पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता	1.00	1.00
19	11–8890	खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान	10.00	0.00
20	11–7568	औद्योगिक इकाईयों को प्रतिपूर्ति/अनुदान	10.00	0.00
21	11–7396	मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुदान	50.00	0.00

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2025–26	31 दिसम्बर, 2025 तक आबंटित राशि
1	2	3	4	5
22	11–8237	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए अनुदान (IITF)	200.00	200.00
23	11–9283	प्रतियोगिताएं, संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां तथा प्रचार	1500.00	1500.00
24	11–6377	फूड पार्क की स्थापना	1713.48	1713.48
25	11–6381	जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क की स्थापना	50.00	50.00
26	11–6742	औद्योगिक पार्कों के लिये अनुदान	1000.00	10000.00
27	11–6888	छत्तीसगढ़ व्यापार केन्द्र की स्थापना	1000.00	1000.00
28	11–7480	जिला उद्योग कार्यालय भवन की स्थापना	1560.00	1560.00
29	11–7909	औद्योगिक केन्द्रों का जीर्णोद्धार	100.00	100.00
30	11–8983	औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना उन्नयन कार्य (26–006 वृहद निर्माण)	3174.99	3174.99
31	11–8983	34–वाहनों का क्रय, 001–प्रतिस्थापन	35.00	35.00
32	11–9219 भू–अर्जन तथा भूमि विकास क्षतिपूर्ति का भुगतान	15 डिक्रीधन का भुगतान	5.00	5.00
33		31 क्षतिपूर्ति भुगतान अधिग्रहित भूमि मुआवजा	500.00	500.00
34	11–9220	सर्वे तथा डिमार्केशन	2.00	2.00
35	11–7044	उद्यम क्रांति योजना	500.00	0.00
36	11–7045	इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना	500.00	500.00
37	11–7067	इन्वेस्ट छत्तीसगढ़	500.00	500.00
38	11–7151	छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन अनुदान	500.00	0.00
39	11–7085	एल्यूमिनियम पार्क की स्थापना	500.00	0.00
40	11–7198	कामकाजी महिला छात्रावास	1770.00	0.00
41	11–7572	छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स को नवा रायपुर में भूमि आबंटन	500.00	0.00
42	11–7218	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	5000.00	0.00
		योग	**39403.57**	**25477.08**

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2025–26	31 दिसम्बर, 2025 तक आबंटित राशि
1	2	3	4	5
43	11–6857	उद्योगों को ब्याज अनुदान	7376.00	4876.00
44	41–6857	उद्योगों को ब्याज अनुदान	8090.00	4155.00
45	64–6857	उद्योगों को ब्याज अनुदान	7034.00	1729.19
		योग	**22500.00**	**10760.19**
46	11–5451	अंशपूंजी सहायता योजना	2500.00	819.39
47	41–5451	अंशपूंजी सहायता योजना	1900.00	66.60
48	64–5451	अंशपूंजी सहायता योजना	600.00	8.00
		योग	**5000.00**	**893.99**
49	11–8928	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	1.00	0.00
50	41–8928	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	1.00	0.00
51	64–8928	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	1.00	0.00
		योग	**3.00**	**0.00**
52	11–9068	औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान	30066.00	17066.00
53	41–9068	औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान	32168.00	9977.65
54	64–9068	औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान	20766.00	3807.26
		योग	**83000.00**	**30850.91**
55	11–5385	नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना (2852)	360.00	360.00
56	11–5385	नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना (4851)	19465.33	19465.33
		योग	**19825.33**	**19825.33**
57	41–5385	नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना (2852)	270.00	270.00
58	41–5385	नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना (4851)	2170.00	2170.00
		योग	**2440.00**	**2440.00**
59	11–6455	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	4689.60	1558.33
60	41–6455	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	650.00	325.00
61	64–6455	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	233.33	136.00
		योग	**5572.93**	**2019.33**
		महायोग	**177744.83**	**92266.83**

पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं तथा वाष्पयंत्र निरीक्षकालय को मांग संख्या–11 के अंतर्गत आयोजनेत्तर मद में बजट प्राप्त होता है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को उद्योग संचालनालय को आबंटित मद में से कार्यालयीन व्यय का भुगतान किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् विभागीय जानकारी (01 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक)

स. क्र.	कार्यालय का नाम	गत वर्ष के लंबित आवेदनों की संख्या	इस वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग (3+4)	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	शेष आवेदनों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, रायपुर	0	67	67	67	0	0
2	मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, रायपुर	0	9	9	9	0	0
3	उद्योग संचालनालय, रायपुर	0	192	192	192	0	0
4	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय, रायपुर	0	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., रायपुर	12	226	238	234	4	0
6	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, रायपुर	0	23	23	23	0	0
7	फर्म्स एवं संस्थाएं, रायपुर	0	615	615	615	0	0
8	जिव्याउके, बिलासपुर	0	41	41	41	0	0
9	जिव्याउके, राजनांदगांव	0	23	23	23	0	0
10	जिव्याउके, महासमुंद	0	9	9	9	0	0
11	जिव्याउके, दुर्ग	4	66	70	70	0	0
12	जिव्याउके, रायपुर	0	61	61	56	5	0
13	जिव्याउके, उत्तर बस्तर कांकेर	0	1	1	1	0	0
14	जिव्याउके, सरगुजा	0	30	30	27	3	0
15	जिव्याउके, जगदलपुर	0	3	3	3	0	0
16	जिव्याउके, रायगढ़	0	42	42	42	0	0
17	जिव्याउके, बीजापुर	0	0	0	0	0	0
18	जिव्याउके, कबीरधाम	0	2	2	2	0	0
19	जिव्याउके, जशपुर	0	11	11	11	0	0
20	जिव्याउके, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	0	0	0	0	0	0
21	जिव्याउके, सुकमा	0	1	1	1	0	0
22	जिव्याउके, बेमेतरा	0	11	11	11	0	0
23	जिव्याउके, बलौदाबाजार–भाटापारा	0	16	16	16	0	0
24	जिव्याउके, धमतरी	0	6	6	6	0	0
25	जिव्याउके, जांजगीर–चांपा	0	12	12	6	6	0

स. क्र.	कार्यालय का नाम	गत वर्ष के लंबित आवेदनों की संख्या	इस वर्ष में प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग (3+4)	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	शेष आवेदनों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
26	जिव्याउके, कोरबा	0	10	10	10	0	0
27	जिव्याउके, कोरिया	0	1	1	1	0	0
28	जिव्याउके, नारायणपुर	0	0	0	0	0	0
29	जिव्याउके, बालोद	0	6	6	6	0	0
30	जिव्याउके, कोण्डागांव	0	0	0	0	0	0
31	जिव्याउके, मुंगेली	0	3	3	3	0	0
32	जिव्याउके, गरियाबंद	0	0	0	0	0	0
33	जिव्याउके, सूरजपुर	0	0	0	0	0	0
34	जिव्याउके, बलरामपुर–रामानुजगंज	0	0	0	0	0	0
35	जिव्याउके, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	0	4	4	4	0	0
36	जिव्याउके, सक्ती	0	20	20	20	0	0
37	जिव्याउके, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	0	2	2	2	0	0
38	जिव्याउके, मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	0	0	0	0	0	0
39	जिव्याउके, सारंगढ़–बिलाईगढ़	0	1	1	1	0	0
40	जिव्याउके, खैरागढ– छुईखदान–गंडई	0	3	3	3	0	0
योग		**16**	**1517**	**1533**	**1515**	**18**	**0**

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत् विभागीय जानकारी (01 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक)

क्र.	कार्यालय का नाम	1 जनवरी को लंबित आवेदनों की संख्या	इस वर्ष प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	निराकृत आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या	समय–सीमा से बाहर लंबित आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उद्योग संचालनालय, रायपुर	254	537	791	710	81	5
2	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय, रायपुर	0	1423	1423	1423	0	0
3	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., रायपुर	0	1130	1130	1117	13	0
4	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, रायपुर	0	0	0	0	0	0
5	फर्म्स एवं संस्थाएं, रायपुर	0	9090	9090	9090	0	0
6	जिव्याउके, रायपुर	294	1116	1410	1319	91	0
7	जिव्याउके, दुर्ग	78	702	780	757	23	0
8	जिव्याउके, बलौदाबाजार–भाटापारा	69	467	536	494	42	0
9	जिव्याउके, बेमेतरा	30	502	532	521	11	0
10	जिव्याउके, बिलासपुर	21	434	455	447	8	1
11	जिव्याउके, बालोद	42	362	404	375	29	0
12	जिव्याउके, महासमुंद	54	326	380	369	11	0
13	जिव्याउके, सक्ती	4	349	353	352	1	0
14	जिव्याउके, राजनांदगांव	32	310	342	332	10	0
15	जिव्याउके, जांजगीर–चांपा	21	314	335	320	15	2
16	जिव्याउके, सारंगढ़–बिलाईगढ़	49	260	309	304	5	0
17	जिव्याउके, कांकेर	47	248	295	286	9	0
18	जिव्याउके, कोरबा	27	263	290	276	14	0
19	जिव्याउके, सरगुजा	15	235	250	236	14	0
20	जिव्याउके, धमतरी	12	236	248	233	15	2
21	जिव्याउके, जशपुर	11	225	236	225	11	2
22	जिव्याउके, सूरजपुर	20	168	188	181	7	0
23	जिव्याउके, रायगढ़	16	171	187	176	11	0

क्र.	कार्यालय का नाम	1 जनवरी को लंबित आवेदनों की संख्या	इस वर्ष प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	निराकृत आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या	समय–सीमा से बाहर लंबित आवेदनों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
24	जिव्याउके, गरियाबंद	10	160	170	156	14	0
25	जिव्याउके, मुंगेली	2	138	140	138	2	0
26	जिव्याउके, जगदलपुर	8	88	96	84	12	0
27	जिव्याउके, खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	10	70	80	77	3	0
28	जिव्याउके, कबीरधाम	1	70	71	70	1	0
29	जिव्याउके, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	4	60	64	61	3	0
30	जिव्याउके, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	11	46	57	48	9	5
31	जिव्याउके, कोरिया	11	39	50	48	2	0
32	जिव्याउके, कोंडागांव	1	49	50	46	4	0
33	जिव्याउके, सुकमा	0	13	13	11	2	0
34	जिव्याउके, मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	0	11	11	11	0	0
35	जिव्याउके, बीजापुर	0	9	9	9	0	0
36	जिव्याउके, बलरामपुर	1	7	8	0	8	0
37	जिव्याउके, दंतेवाड़ा	0	4	4	3	1	0
38	जिव्याउके, नारायणपुर	0	0	0	0	0	0
योग		**1155**	**19632**	**20787**	**20305**	**482**	**17**

वाणिज्य एवं उद्योग के अंतर्गत विभिन्न घटकों / निगम / बोर्ड की स्वीकृत पद संरचना

परिशिष्ट -एक

अ - उद्योग संचालनालय

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या	टीप
1	उद्योग संचालक	01	अखिल भारतीय सेवा संवर्ग
2.	अपर संचालक	04	02 उद्योग संचालनालय 01 प्रतिनियुक्ति हेतु सीएसआईडीसी में 01 प्रतिनियुक्ति हेतु एसआईपीबी में
3	संयुक्त संचालक	08	02 उद्योग संचालनालय 05 सीएसआईडीसी 01 एसआईपीबी
4	संयुक्त संचालक (वित्त)	01	कोष एवं लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
5	उप संचालक	17	10 उद्योग संचालनालय 05 सीएसआईडीसी 02 एसआईपीबी
6	सहायक संचालक	27	12 उद्योग संचालनालय 10 सीएसआईडीसी 02 एसआईपीबी 01 जेल विभाग 02 ग्रामोद्योग
7	सहायक प्रबंधक	14	12 उद्योग संचालनालय 02 एसआईपीबी
8	लेखा अधिकारी सहायक लेखा अधिकारी	03	02 कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति पर
9	शीघ्रलेखक वर्ग–1	03	–
10	शीघ्रलेखक वर्ग–2	06	05 उद्योग संचालनालय 01 प्रतिनियुक्ति पर एसआईपीबी
11	शीघ्रलेखक वर्ग–3	12	–
12	अधीक्षक	01	–
13	सहायक अधीक्षक	01	–
14	सहायक वर्ग–1	10	–
15	सहायक वर्ग–2 / लेखापाल	10	–
16	स्टेनोटायपिस्ट / सहायक वर्ग–3	24	–
17	जूनियर ऑडिटर	03	–

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या	टीप
18	कम्प्यूटर ऑपरेटर	12	—
19	वाहन चालक (नैमित्तिक)	12	—
20	वाहन चालक	01	—
21	दफ्तरी	04	—
22	जमादार	02	—
23	भृत्य/चौकीदार	18	—
24	भृत्य (कलेक्टर दर पर)	09	—
25	चौकीदार (कलेक्टर दर पर)	02	—
26	प्रोसेस सर्वर (कलेक्टर दर पर)	03	01—एसआईपीबी के लिये
	योग	**208**	

ब- मैदानी कार्यालय (जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र)

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या
1	मुख्य महाप्रबंधक	06
2	महाप्रबंधक	37
3	प्रबंधक	80
4	सहायक प्रबंधक	136
5	शीघ्रलेखक वर्ग—1	04
6	शीघ्रलेखक वग—2	14
7	शीघ्रलेखक वर्ग—3	33
8	सहायक अधीक्षक	03
9	सहायक वर्ग—1	36
10	सहायक वर्ग—2/लेखापाल	82
11	स्टेनाटायपिस्ट/सहायक वर्ग—3	92
12	कम्प्यूटर ऑपरेटर	27
13	वाहन चालक (नैमित्तिक)	24
14	जमादार	27
15	भृत्य/चौकीदार	78
16	चौकीदार (कलेक्टर दर पर)	18
	योग	**697**

परिशिष्ट- दो

पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की स्वीकृत पद संरचना

अ- मुख्यालय

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1.	रजिस्ट्रार	1
2.	उप पंजीयक	1
3.	सहायक पंजीयक	2
4.	निरीक्षक	3
5.	सहायक अधीक्षक	1
6.	ऑडिटर	3
7.	स्टेनोग्राफर	1
8.	सहायक ग्रेड–2	2
9.	सहायक ग्रेड–3	3
10.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1
11.	स्टेनोटॉयपिस्ट	2
12.	दफ्तरी	1
13.	भृत्य	3
14.	प्रोसेस सर्वर	2
15.	चौकीदार/फर्राश	2
16.	वाहन चालक	1
	योग	**29**

ब- मैदानी कार्यालय (सहायक पंजीयक बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर एवं सरगुजा)

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1.	सहायक पंजीयक	4
2.	निरीक्षक	4
3.	ऑडिटर	4
4.	सहायक ग्रेड–2	4
5.	सहायक ग्रेड–3	4
6.	भृत्य	4
7.	प्रोसेस सर्वर	4
8.	चौकीदार/फर्राश	4
	योग	**32**

परिशिष्ट- तीन

वाष्पयंत्र निरीक्षकालय की स्वीकृत पद संरचना

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1.	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	1
2.	उप मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	2
3.	वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र	3
4.	निरीक्षक वाष्पयंत्र	6
5.	सहायक अधीक्षक	1
6.	सहायक वर्ग–1	2
7.	सहायक वर्ग–2	2
8.	सहायक वर्ग–3	5
9.	शीघ्र लेखक वर्ग–3	1
10.	लेखापाल	1
11.	स्टेनोटायपिस्ट	1
12.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1
13.	वाहन चालक	1
14.	भृत्य	4
15.	चौकीदार	1
	योग	**32**

परिशिष्ट- चार

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्वीकृत पद संरचना

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1.	संयोजक	1
2.	अपर संचालक	1
3.	संयुक्त संचालक	1
4.	उप संचालक	2
5.	सहायक संचालक	2
6.	सहायक प्रबंधक	4
7.	लेखापाल	1
8.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1
9.	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	1
10.	सहायक वर्ग–2	1
11.	सहायक वर्ग–3	1
12.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1
13.	भृत्य	2
14.	चौकीदार	1
	योग	**20**

परिशिष्ट- पांच

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्वीकृत पद संरचना

क्र.	पदनाम	पद संख्या	टीप
1	प्रबंध संचालक	01	अखिल भारतीय सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
2	कार्यपालक संचालक	01	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति हेतु
3	उप महाप्रबंधक	01	डाईंग कैडर
4	मुख्य महाप्रबंधक	07	05 पद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति हेतु एवं 02 पद सीएसआईडी की पदसंरचना
5	महाप्रबंधक	17	
6	कंपनी सचिव	01	01 पद मुख्यालय हेतु
7	प्रबंधक	30	10 पद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति हेतु
8	प्रबंधक (एम.आई.एस.)	01	पदोन्नति/सीधी भर्ती, विपणन प्रभाग में प्रोग्रामर के रुप में स्वीकृत
9	सहायक प्रबंधक	24	—
10	सहायक प्रबंधक (एम.आई.एस.)	02	01 पद मुख्यालय/01 पद विपणन प्रभाग हेतु
11	सहायक प्रबंधक तकनीकी/निरीक्षक	03	—
12	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	01	राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
13	शीघ्रलेखक वर्ग–1	01	—
14	शीघ्रलेखक वर्ग–2	02	—
15	शीघ्रलेखक वर्ग–3	03	*आदेश क्रमांक एफ 1–8/2014/ 11/6 दि. 07.03.2015 के तहत् 01 सांख्येत्तर पद स्वीकृत किया गया है।
16	सहायक लेखाधिकारी	03	—
17	लेखापाल	01	डाईंग कैडर
18	लेखापाल	08	—
19	कैशियर	01	—

क्र.	पदनाम	पद संख्या	टीप
20	सहायक वर्ग–1	18	–
21	फील्ड ऑफिसर	01	डाईंग कैडर
22	सहायक वर्ग–2	24	–
23	सहायक वर्ग–3	36	–
24	सेल्समैन	03	डाईंग कैडर
25	स्टोर कीपर	02	डाईंग कैडर
26	डाटा एंट्री ऑपरेटर	10	–
27	पी.बी.एक्स. ऑपरेटर	01	डाईंग कैडर
28	तकनीशियन	03	–
29	पटवारी	02	–
30	वाहन चालक	15	–
31	भृत्य	23	–
32	माली	02	–
33	दफ्तरी	01	डाईंग कैडर
34	मुख्य अभियंता	01	प्रतिनियुक्ति
35	कार्यपालन अभियंता	04	–
36	सहायक अभियंता	08	–
37	कनिष्ठ अभियंता	16	–
38	मानचित्रकार	01	–
39	सहायक मानचित्रकार	02	–
40	अनुरेखक	02	–
41	सहायक फोरमैन	01	डाईंग कैडर
42	मशीन ऑपरेटर	02	डाईंग कैडर
43	कारपेंटर	01	डाईंग कैडर
44	समयपाल	16	–
45	रोड रोलर चालक	03	डाईंग कैडर
46	पंप ऑपरेटर–1	05	–
47	पंप ऑपरेटर–2	03	–
48	प्लम्बर	05	–
49	फिल्टर प्लांट ऑपरेटर /मीटर रीडर	13	–
50	इलेक्ट्रीशियन	03	–
51	लाईनमैन	06	–

क्र.	पदनाम	पद संख्या	टीप
52	हेल्पर	44	डाईंग कैडर
53	चौकीदार	20	—
54	कुशल श्रमिक	02	डाईंग कैडर
55	टर्नर	01	डाईंग कैडर
56	लेबर	02	डाईंग कैडर
57	सहायक तकनीशियन	02	आदेश क्रमांक एफ 1–8/2014/11/6 दिनांक 07.03.2015 के तहत् 02 सांख्येत्तर पद स्वीकृत किया गया है।
योग		**412**	

स्टार्टअप कार्यक्रम, नवा रायपुर

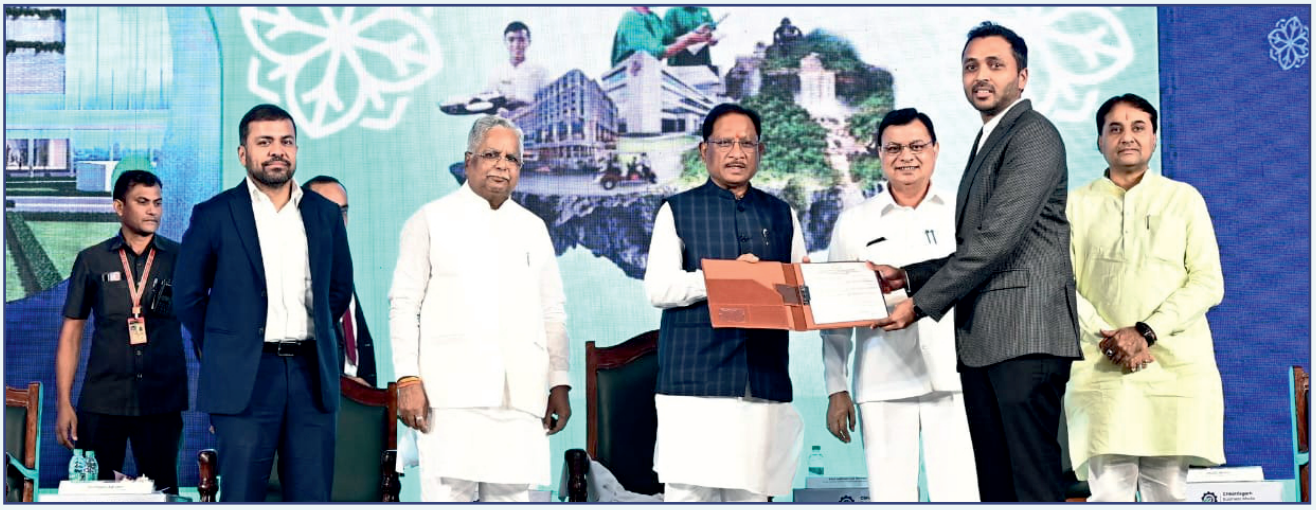

केयर कनेक्ट कार्यक्रम, रायपुर

अनुगा ''खाद्य एवं पेय पदार्थ'' अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, कोलोन, जर्मनी

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत हितग्राही को चेक वितरण

इण्डस्ट्री डायलॉग, नवा रायपुर

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

श्री लखन लाल देवांगन
माननीय मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

श्री राजीव अग्रवाल
माननीय अध्यक्ष, सीएसआईडीसी
छत्तीसगढ़ शासन

Chhattisgarh
Business Made Easy

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

www.oneclick.cgstate.gov.in /investcg_india /@investcg_india

/InvestChhattisgarh @CGInvest